राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं०: SHSB/SPM/788/2026...2409...

सेवा में,

1 सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
2 सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार
3 सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार
4 सभी सिविल सर्जन-सह-सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
5 निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना

पटना, दिनांक : 22.7.26

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु, बजट आवंटन तथा कार्यक्रम संबंधित वित्तीय दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट का आवंटन राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा किया जा रहा है। यह आवंटन जिला स्वास्थ्य कार्य-योजना एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा समेकित किये गये राज्य स्वास्थ्य कार्ययोजना (SPIP 2026-27) का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट एवं गतिविधियों पर आधारित है।

उपरोक्त सभी संस्थान इस पत्र में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की राशि व्यय करेगें तथा विहित एफ०एम०आर० (FMR) प्रपत्र में व्यय विवरणी ससमय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रेषित करेगें।

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आवंटित बजट मुख्य रूप से निम्न भागों में विभक्त की गयी है-

FMR	Particulars	FMR	Particulars
RCH.1	Maternal Health	NCD.3	NPHCE
RCH.2	PC & PNDT Act	NCD.4	NTCP
RCH.3	Child Health	NCD.5	NP-NCD
RCH.4	Immunization	NCD.6	PMNDP
RCH.5	Adolescent Health	NCD.7	NPCCH
RCH.6	Family Planning	NCD.8	NOHP
RCH.7	Nutrition	NCD.9	NPCC
RCH.8	NIDDCP	NCD.10	NPPCF
NDCP.1	IDSP	HSS(U).1	CPHC
NDCP.2	NVBDCP	HSS(U).2	Community Engagement
NDCP.3	NLEP	HSS(U).3	IPHS
NDCP.4	NTEP	HSS(U).4	Quality Assurance
NDCP.5	NVHCP	HSS(U).5	HRH
NDCP.6	NRCP	HSS(U).6	Technical Assistance
NCD.1	NPCB+VI	HSS.1	CPHC
NCD.2	NMHP	HSS.2	Blood Service

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

FMR	Particulars	FMR	Particulars
HSS.3	Community Engagement	HSS.9	HRH
HSS.4	IPHS	HSS.10	Enhancing HR
HSS.5	Referral Transport	HSS.11	Technical Assistance
HSS.6	Quality Assurnace	HSS.12	IT
HSS.7	Other Initiatives	HSS.13	Innovation
HSS.8	Inventory management	HSS.14	Untied Grants

2. विगत वर्षो से यह परिलक्षित हो रहा है कि व्यय की गति विकेन्द्रीकृत योजना एवं सहभागी बजट निर्माण प्रक्रिया के कारण बढ़ी है। साथ ही कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए पदाधिकारियों के क्षमता में भी विकास हुआ है जिसके कारण राज्य में 2005 के तुलना में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांको (Health Indicator) में सुधार हुआ है।

3. राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुमोदित बजट में से उपरोक्त वर्णित मदों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (RPMU) को बजट आवंटित की जा रही है।

4. किसी भी मूल कर्णांकित मद की बजट/limit का निर्धारित वार्षिक व्यय-सीमा से यदि अधिक खर्च होता है तो वार्षिक व्यय-सीमा से अधिक बजट/राशि को recommending एवं अनुमोदनकर्त्ता पदाधिकारियों से वसूल किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई इसी प्रक्रिया से आवंटित बजट/राशि का व्यय करेगी । **किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वार्षिक सिलिंग क्रॉस नही किया जाना है। यदि ऐसा होता है तो recommending एवं अनुमोदनकर्त्ता पदाधिकारी के वेतन से राशि की वसूली की जा सकती है। यदि किसी बजट शीर्ष में बजट की कमी होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाये, तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट वृद्धि से अधिक भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। इसकी Monitoring की पूरी जवाबदेही जिला लेखा प्रबंधक की होगी।**

5. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यक्रम पदाधिकारी तथा DIO अपने कार्यक्रम का व्यय प्रतिवेदन ससमय संबंधित जिला लेखा प्रबंधक को उपलब्ध करायेगें। साथ ही जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि एच०एम०आई०एस० के बेव पोर्टल पर प्रत्येक माह के पाँच (5) तारीख तक जिले का एफ०एम०आर० अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

6. जिला योजना समन्वयक (DPC) की यह जबावदेही होगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिलों को आवंटित मदवार बजट की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों को विश्लेषित कर उचित माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, वित्त प्रबंधक तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारियों को प्रेषित करेगें जिसका उद्देश्य यह होगा कि किस मद तथा किन संस्थाओं में कम खर्च हो रहा है उसे चिन्हित किया जा सके एवं आवश्यक कार्रवाई संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किया जा सके। **साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला योजना समन्वयक की संयुक्त जबावदेही होगी कि अक्टूबर माह के व्यय प्रतिवेदन के आधार पर कम खर्च करने वाले स्वास्थ्य इकाईयों की बजट को काट कर वैसे इकाईयों को उपआवंटित करेगें जहाँ राशि का व्यय अधिक हो रहा है। इस प्रकार जिलों में व्यय की गति में वृद्धि होगी।** जिला योजना समन्वयक (DPC) एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) के Performance Review का यह एक मुख्य मापदण्ड होगा।

7. **क्षेत्रीय उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक की यह जबावदेही** होगी कि उनसे संबंधित जिलों के निर्धारित लक्ष्यों का विश्लेषण प्रत्येक तीन माह पर किया जाए एवं जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को स्थिति से अवगत करवाया जाये। जिन जिलों में खर्च की स्थिति संतोषप्रद नही पायी जाये वहाँ क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक अपने स्तर से अनुश्रवण करेगें। यदि इसके पश्चात् भी व्यय की गति नही बढ़ती है तो क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को अपनी टिप्पणी के साथ उन्हें पत्र प्रेषित करेगें (पत्र की एक प्रति कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को

भी दे)। **यदि कोई जिला का प्रदर्शन परिणामानुकूल नही है तो इसके लिए जिला के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की भी जवाबदेही होगी।**

8. जिन स्वास्थ्य संस्थानों को बजट आवंटित की जा रही है उन संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों तथा प्रबंधको को यह जबावदेही दी जाये कि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को ससमय पूरा करें तथा इसे उनके वार्षिक मूल्यांकन (Performance Appraisal) प्रतिवेदन में भी उल्लेखित करें।

9. **स्वास्थ्य इकाईयों** Fund Allocation (BROP) अनुलग्नक -'क' एवं 'ख' के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला योजना समन्व्यक अपने जिले के अधिनस्थ सभी स्वास्थ्य इकाईयों (ANM/GNM School सहित) का बजट आवंटन तैयार करेगें। बजट आवंटन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सभी स्वास्थ्य इकाईयों को आवश्यक निर्देश के साथ उपलब्ध करा देगें। इस बजट आवंटन पर जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष एवं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव का अनुमोदन एक बार में ही प्राप्त कर लिया जाये तथा इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भी दी जाये।

10. ज्ञात हो कि Conditionality की सभी शर्त्तों को पूर्ण करने पर 20% अधिक राशि बिहार को प्राप्त होगी। Conditionality Framework 2026-27 आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नकः (क) बजट आवंटन
(ख) वित्तीय दिशा-निर्देश।
(ग) Conditionality Framework

विश्वासभाजन

22/7/2026

(अमित कुमार पाण्डेय)

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना – 800 014
दूरभाष : 0612-2290328, वेबसाइट : http://shs.bihar.gov.in

अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

संचिका सं०: SHSB/SPM/788/2026..........2409

सेवा में,

1 सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
2 सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार
3 सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार
4 सभी सिविल सर्जन-सह-सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार
5 निदेशक, आई०जी०आई०एम०एस०, पटना

पटना, दिनांक : 22.7.26

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु, बजट आवंटन तथा कार्यक्रम संबंधित वित्तीय दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बजट का आवंटन राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा किया जा रहा है। यह आवंटन जिला स्वास्थ्य कार्य-योजना एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा समेकित किये गये राज्य स्वास्थ्य कार्ययोजना (SPIP 2026-27) का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट एवं गतिविधियों पर आधारित है।

उपरोक्त सभी संस्थान इस पत्र में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की राशि व्यय करेगें तथा विहित एफ०एम०आर० (FMR) प्रपत्र में व्यय विवरणी ससमय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रेषित करेगें।

वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आवंटित बजट मुख्य रूप से निम्न भागों में विभक्त की गयी है-

FMR	Particulars	FMR	Particulars
RCH.1	Maternal Health	NCD.3	NPHCE
RCH.2	PC & PNDT Act	NCD.4	NTCP
RCH.3	Child Health	NCD.5	NP-NCD
RCH.4	Immunization	NCD.6	PMNDP
RCH.5	Adolescent Health	NCD.7	NPCCH
RCH.6	Family Planning	NCD.8	NOHP
RCH.7	Nutrition	NCD.9	NPCC
RCH.8	NIDDCP	NCD.10	NPPCF
NDCP.1	IDSP	HSS(U).1	CPHC
NDCP.2	NVBDCP	HSS(U).2	Community Engagement
NDCP.3	NLEP	HSS(U).3	IPHS
NDCP.4	NTEP	HSS(U).4	Quality Assurance
NDCP.5	NVHCP	HSS(U).5	HRH
NDCP.6	NRCP	HSS(U).6	Technical Assistance
NCD.1	NPCB+VI	HSS.1	CPHC
NCD.2	NMHP	HSS.2	Blood Service

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार

FMR	Particulars	FMR	Particulars
HSS.3	Community Engagement	HSS.9	HRH
HSS.4	IPHS	HSS.10	Enhancing HR
HSS.5	Referral Transport	HSS.11	Technical Assistance
HSS.6	Quality Assurnace	HSS.12	IT
HSS.7	Other Initiatives	HSS.13	Innovation
HSS.8	Inventory management	HSS.14	Untied Grants

2. विगत वर्षो से यह परिलक्षित हो रहा है कि व्यय की गति विकेन्द्रीकृत योजना एवं सहभागी बजट निर्माण प्रक्रिया के कारण बढ़ी है। साथ ही कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए पदाधिकारियों के क्षमता में भी विकास हुआ है जिसके कारण राज्य में 2005 के तुलना में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांको (Health Indicator) में सुधार हुआ है।

3. राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुमोदित बजट में से उपरोक्त वर्णित मदों के अनुसार जिला स्वास्थ्य समिति, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई (RPMU) को बजट आवंटित की जा रही है।

4. किसी भी मूल कर्णांकित मद की बजट/limit का निर्धारित वार्षिक व्यय-सीमा से यदि अधिक खर्च होता है तो वार्षिक व्यय-सीमा से अधिक बजट/राशि को recommending एवं अनुमोदनकर्त्ता पदाधिकारियों से वसूल किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई इसी प्रक्रिया से आवंटित बजट/राशि का व्यय करेगी । **किसी भी परिस्थिति में निर्धारित वार्षिक सिलिंग क्रॉस नही किया जाना है। यदि ऐसा होता है तो recommending एवं अनुमोदनकर्त्ता पदाधिकारी के वेतन से राशि की वसूली की जा सकती है। यदि किसी बजट शीर्ष में बजट की कमी होती है तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से अतिरिक्त आवंटन की मांग की जाये, तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट वृद्धि से अधिक भुगतान करना सुनिश्चित करेगें। इसकी Monitoring की पूरी जवाबदेही जिला लेखा प्रबंधक की होगी।**

5. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यक्रम पदाधिकारी तथा DIO अपने कार्यक्रम का व्यय प्रतिवेदन ससमय संबंधित जिला लेखा प्रबंधक को उपलब्ध करायेगें। साथ ही जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि एच०एम०आई०एस० के बेव पोर्टल पर प्रत्येक माह के पाँच (5) तारीख तक जिले का एफ०एम०आर० अपलोड करना सुनिश्चित करेगें।

6. जिला योजना समन्वयक (DPC) की यह जबावदेही होगी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिलों को आवंटित मदवार बजट की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों को विश्लेषित कर उचित माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक, वित्त प्रबंधक तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारियों को प्रेषित करेगें जिसका उद्देश्य यह होगा कि किस मद तथा किन संस्थाओं में कम खर्च हो रहा है उसे चिन्हित किया जा सके एवं आवश्यक कार्रवाई संबंधित पदाधिकारियों द्वारा किया जा सके। **साथ ही जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला योजना समन्वयक की संयुक्त जबावदेही होगी कि अक्टूबर माह के व्यय प्रतिवेदन के आधार पर कम खर्च करने वाले स्वास्थ्य इकाईयों की बजट को काट कर वैसे इकाईयों को उपआवंटित करेगें जहाँ राशि का व्यय अधिक हो रहा है। इस प्रकार जिलों में व्यय की गति में वृद्धि होगी।** जिला योजना समन्वयक (DPC) एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) के Performance Review का यह एक मुख्य मापदण्ड होगा।

7. **क्षेत्रीय उपनिदेशक, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक की यह जबावदेही** होगी कि उनसे संबंधित जिलों के निर्धारित लक्ष्यों का विश्लेषण प्रत्येक तीन माह पर किया जाए एवं जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को स्थिति से अवगत करवाया जाये। जिन जिलों में खर्च की स्थिति संतोषप्रद नही पायी जाये वहाँ क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक तथा क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक अपने स्तर से अनुश्रवण करेगें। यदि इसके पश्चात् भी व्यय की गति नही बढ़ती है तो क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को अपनी टिप्पणी के साथ उन्हें पत्र प्रेषित करेगें (पत्र की एक प्रति कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को

भी दे)। **यदि कोई जिला का प्रदर्शन परिणामानुकूल नही है तो इसके लिए जिला के साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की भी जवाबदेही होगी।**

8. जिन स्वास्थ्य संस्थानों को बजट आवंटित की जा रही है उन संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों तथा प्रबंधको को यह जबावदेही दी जाये कि भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को ससमय पूरा करें तथा इसे उनके वार्षिक मूल्यांकन (Performance Appraisal) प्रतिवेदन में भी उल्लेखित करें।

9. **स्वास्थ्य इकाईयों** Fund Allocation (BROP) अनुलग्नक -'क' एवं 'ख' के आधार पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एवं जिला योजना समन्व्यक अपने जिले के अधिनस्थ सभी स्वास्थ्य इकाईयों (ANM/GNM School सहित) का बजट आवंटन तैयार करेगें। बजट आवंटन पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सभी स्वास्थ्य इकाईयों को आवश्यक निर्देश के साथ उपलब्ध करा देगें। इस बजट आवंटन पर जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष एवं सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव का अनुमोदन एक बार में ही प्राप्त कर लिया जाये तथा इसकी सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को भी दी जाये।

10. ज्ञात हो कि Conditionality की सभी शर्त्तों को पूर्ण करने पर 20% अधिक राशि बिहार को प्राप्त होगी। Conditionality Framework 2026-27 आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नकः (क) बजट आवंटन
(ख) वित्तीय दिशा-निर्देश।
(ग) Conditionality Framework

विश्वासभाजन
ह0 / –

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक : SHSB/SPM/788/2026/...2409.......   पटना, दिनांक :...22.7.24.....

प्रतिलिपिः

- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक, NHM, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।
- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- माननीय स्वास्थ्य मंत्री, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ।
- प्रशासी पदाधिकारी/निदेशक वित्त एवं प्लानिंग/अपर निदेशक, वित्त/उप सचिव/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रा०स्वा०स० बिहार एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम), राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी, राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारी, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक (NUHM)/ सभी उप-निदेशक एवं सलाहकार, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं निरंतर follow-up हेतु प्रेषित।
- राज्य वित्त प्रबंधक एवं राज्य लेखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवंटन विमुक्ति करने की कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी-शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी जिला कार्यक्रम प्रबधंक/जिला लेखा प्रबंधक/जिला शहरी स्वास्थ्य सलाहकार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- अस्पताल प्रबंधक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सभी डेवलपमेन्ट पार्टनर्स को सूचनार्थ प्रेषित।

22/7/2024

कार्यपालक निदेशक

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB&VI)
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Other NPCB&VI Components
नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर०संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): NCD-1,Sl.No -204
पुराना बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर०संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): NCD-1,Sl.No -96

वित्तीय दिशा निर्देश : –

IEC & Printing -:

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनमानस में आँखों की देखभाल एवं आँखों से संबंधित बीमारियों हेतु बचाव एवं निदान तथा नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वॉल पेन्टिग, हैन्ड–बिल्स, पम्पलेट, पोस्टर बैनर, रेडियो प्रचार, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक, रैली इत्यादि किये जाने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत नेत्रदान पखवाड़ा, विश्व दृष्टि दिवस एवं विश्व ग्लूकोमा दिवस आदि मुख्य कार्यक्रम शामिल है।

इकाई राशि (रू० में) : Rs. 12,500/- (Twelve Thousand Five Hundred) प्रति जिला स्वास्थ्य समिति/ Rs. 25,000/- (Twenty Five Thousand) प्रति चिकित्सा महाविद्यालय/राजेन्द्रनगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना।

वित्तीय दिशा निर्देश :

(क) सभी जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा Rs.12,500/- (Twelve Thousand Five Hundred Only) की राशि नेत्रदान पखवाड़ा, विश्व दृष्टि दिवस एवं विश्व ग्लूकोमा दिवस में व्यय की जायेगी। साथ ही Rs. 10,000/- (Ten Thousand only) की राशि **स्कूल आई स्क्रीनिंग,** सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिन्द के ऑपरेशन, इत्यादि के प्रचार प्रसार में खर्च किये जाने है।

(ख) Government Medical Colleges, RIO IGIMS Patna एवं राजेन्द्र नगर अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल पटना को Rs. 25,000/- (Twenty Five Thousand Only) प्रत्येक संस्थान के द्वारा व्यय की जानी है। मेडिकल कॉलेजों मे नेत्रदान पखवाड़ा विश्व, दृष्टि दिवस, विश्व ग्लूकोमा दिवस के अलावा नेत्र अधिकोष के प्रचार प्रसार एवं संगोष्ठी में खर्च किया जाना है। राशि का व्यय मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक/विभागाघ्यक्ष (Eye) एवं अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल के निदेशक के द्वारा किया जाना है।

राशि व्यय होन के उपरान्त संबंधित संस्थान उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को उपलब्ध करायेंगे।

- प्रत्येक प्रोग्राम (गतिविधि) के उपरांत कार्यक्रम का प्रतिवेदन (News Paper Cutting, Photograph, Group Photograph, Beneficiary detail etc.) SPO Blindness Control Cell के ई–मेल (**spobdbihar25@gmail.com**) पर भेजना अनिवार्य होगा।

  बजट का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली (समय–समय पर यथा संशोधित) के आलोक में नियमानुकूल किये जायेंगे।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ0 ऋषि कपूर/राजेन्द्र कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9471009964/9931496234

Email Id :- Spobdbihar25@gmail.com

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
(अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB&VI)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): NPCB&VI

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर०संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): NCD-1,Sl.No -194

वित्तीय दिशा निर्देश : –

Planning & Programme Management: -

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में अधांपन नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने एवं कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु Office Contingency के रूप में राशि खर्च की जानी है।

इकाई राशि (रू० में) : Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only) प्रति जिला।

वित्तीय दिशा निर्देश :

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : –

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में अधांपन नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने एवं कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु Office Contingency के रूप में रू0 50,000/–(पचास हजार) प्रति जिला की दर से अनुमोदित है।

इस राशि से office में उपयोग होने वाले स्टेशनरी, फैक्स, फोटो स्टेट, इन्टरनेट हेतु डाटा, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समीक्षात्मक बैठक इत्यादि के समुचित व्यय किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा NPCB&VI कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2026–27 के RoP मे रू0 50,000/–(पचास हजार) प्रति जिला की दर से अनुमादित राशि के आलोक में सभी जिलों को बजट आवंटन किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई बजट की राशि की अधिसीमा को घ्यान में रखतें हुए बजट आवंटन के अनुरूप राशि का शत्–प्रतिशत व्यय किया जाना है। बजट से अधिक अपव्यय की जवाबदेही संबंधित जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम का यह दायित्व होगा की उक्त सामग्रियों/गतिविधियों के लिए आवश्यकता का आकलन कर सिविल सर्जन के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाहरणालय/जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित दर के आधार पर किया जाना है। यदि सामग्री का दर अनुमोदित नहीं है, तो वैसी स्थिति में कार्य की महता एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार वित्तीय नियमावली (समय समय पर यथा संशोधित) का अनुपालन करते हुए नियमानुसार क्रय किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ0 ऋषि कपूर/राजेन्द्र कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9471009964/9931496234

Email Id :- Spobdbihar25@gmail.com

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
(अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB&VI)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Collection of eye balls by.Eye Banks and Eye donation centre

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): **NCD-1, S.No -92**

वित्तीय दिशा निर्देश :

Others including operating costs (OOC):-

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत Eye bank एवं Eye Donation Centre को Eye Balls Collection हेतु सहयोग राशि दी जानी है।

इकाई राशि (रू०में) :Rs 2,000/-per Pair of Eye balls collection

वित्तीय दिशा निर्देश :–

- भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में Collection of Eye Balls by Eye Bank हेतु प्रति pair of Eye balls @ Rs 2000/- की दर से दिये जाने का प्रावधान है।
- Eye Donation Centre द्वारा Eye Bank को Eye Ball उपलब्ध कराने पर @ Rs 1000/- Per Pair of Eye balls की दर से राशि का भुगतान Eye Bank द्वारा किया जाना है।
- संस्थान Monthly Physical Performance Report एवं SoE, प्रत्येक माह के पाँचवे तारीख तक राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अंधापन नियंत्रण के ई–मेल spobdbihar25@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- आवंटित बजट के अनुरूप लक्ष्य का निर्धारण कर उपर्युक्त कार्य को कराया जाय है।

बजट का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में नियमानुकूल किये जायेंगे।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ0 ऋषि कपूर/राजेन्द्र कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9471009964/9931496234

Email Id :- Spobdbihar25@gmail.com

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
(अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष– 2026–27

कार्यक्रम का नामः राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB&VI)
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): **Cataract surgeries through NGOs**
नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): **NCD-1, Sl.No -88**

वित्तीय दिशा निर्देश :–

Others including operating costs (OOC)-:

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : जिले में वैसे NGOs /Pvt.Practitioners/VOs जो NPCB&VI के निर्धारित Guidelines के अनुरूप हों उनके द्वारा जिले में निःशुल्क मोतियाबिन्द ऑपरेशन किया जाना है।
ग़ैर सरकारी संस्था (NGOs) को Darpan portal, NPCB&VI Portal तथा Private Practitioners को NPCBVI Portal पर पंजीकृत होना साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति से MoU होना अनिवार्य है। NGOs/Pvt.Practitioners के साथ MoU करने से पूर्व उनसे संबंद्ध हॉस्पीटल जहाँ मोतियाबिन्द का ऑपरेशन किया जाना है उसका **Clinical Establishment Registration बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना** संख्या–18/विविध–18/2017–480 (18) स्वा0, पटना दिनांक 04.03.2025 के अनुसार होना आवश्यक है।

- **जो जिला स्वास्थ्य समिति, NGOs/Pvt.Practitioners से, जिले को दिये गये लक्ष्य (आवंटित राशि के अनुरूप) से अधिक ऑपरेशन कराना चाहतें हों उन्हें अनुमति देने से पहले राज्य स्वास्थ्य समिति से अनुमति एवं लक्ष्य का संशोधन कराना आवश्यक है, अन्यथा सारी जिम्मेदारी संबंधित सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी की होगी।**

इकाई राशि (रू० में) :–

1 रु० 2000/(दो हजार) प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन (With Intra Ocular Lens) की दर से अनुदान जब NGOs/Pvt.Practitioners स्वंय अपने Base Hospital में ऑपरेशन करते हों।

2. रु० 1200/–(बारह सौ) प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन (With Intra Ocular Lens) के दर से अनुदान, जब सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में मोतियाबिन्द का ऑपरेशन करते हों।

3. मोतियाबिन्द ऑपरेशन जिसमें Intra Ocular Lens का प्रत्यारोपन नहीं किया गया है, के लिए अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने के लिए इच्छुक NGOs/VOs/Pvt.Practitioners को निम्न आवश्यक अर्हता होनी चाहिए :–

(क) निजी नेत्र विशेषज्ञों(Pvt.Practitioners) की वांछित योग्यता एवं कार्यानुभव :–

जिले में उपलब्ध वैसे सभी निजी नेत्र विशेषज्ञ जो अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम का कार्य करने के इच्छुक है, जिनके पास कार्य करने के लिए आवश्यक योग्यता/कार्य अनुभव के साथ सुसज्जित नेत्र ऑपरेशन कक्ष एवं आवश्यक उपकरण एवं उपस्कर उपलब्ध हो।

(1) एम०एस० एवं DNB योग्यता प्राप्त नेत्र सर्जन को Post PG **दो वर्षो** का कार्यानुभव नेत्र चिकित्सा (Ophthalmology) में प्राप्त हो एवं सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में नही हों।

(2) Diploma in Ophthalmology (DOMs) योग्यता वाले नेत्र सर्जन को Post PG **पाँच वर्ष** का कार्यानुभव नेत्र चिकित्सा (Ophthalmology) में प्राप्त हो एवं सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में नही हों।

(3) जो जिला स्वास्थ्य समिति को नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन, निर्धारित मानदण्ड/दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्य करने तथा आवश्यकतानुसार जाँच के लिए रिकार्ड रखने के लिए तैयार हो।

(4) जिनके पास प्रशिक्षित कर्मी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाह्य कक्ष, ऑपरेशन कक्ष और भर्ती किए गये मरीजों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध हो।

(5) जिनका MoU संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से हो।

(6) Hospital का Clinical Establishment Registration हो (**As per बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना संख्या–18/विविध–18/2017–480 (18) स्वा0, पटना दिनांक 04.03.2025–संलग्न**)।

(ख) गैर सरकारी संस्थानों (NGOs) की योग्यता एवं कार्यानुभव :–

(1) जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (एक्ट XXI of 1860 या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य नियम) या चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट के अन्तर्गत निबंधित हो।

(2) जिनहें नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्षेत्र में न्यूनतम 3 (तीन) वर्षों का कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो।

(3) जो जाति, धर्म, भाषा के बिना जनमानस को सेवा करने के लिए इच्छुक हो।

(4) जिनके पास प्रशिक्षित कर्मी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बाह्य कक्ष, ऑपरेशन कक्ष और भर्ती किए गये मरीजों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध हो।

(5) जो कार्यक्रम के द्वारा समय–समय पर दिये गये मानदण्ड/दिशा–निर्देश मानने के लिए तैयार हों साथ ही किये गये कार्यों का समय–समय पर Records जाँच कराने को तत्पर हों।

(6) जिनका MOU संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति से हो।

(7) Hospital का Clinical Establishment Registration हो (**as per बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग अधिसूचना संख्या–18/विविध–18/2017–480 (18) स्वा0, पटना दिनांक 04.03.2025**)।

➢ **सामान्य दिशा–निर्देशः–**

1. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी, कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वैसे **NGOs/Pvt.Practitioners** को चिन्हित/पहचान करेंगे जिनके पास कार्य करने के लिए उपरोक्त कंडिका (क) एवं (ख) के अनुसार आवश्यक अर्हता के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध हों।

2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी ,NGOs/PVT Practitioners जिनके साथ जिला स्वास्थ्य समिति का MoU है, वैसे NGOs/PVT Practitioners का मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लक्ष्य का निर्धारण करेंगे।

3. भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध विहित प्रपत्र में **NGOs/Pvt.Practitioners** अपना अभ्यावेदन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। जाँचोपरान्त **NGOs/Pvt.Practitioners** को संयुक्त हस्ताक्षरित **MOU दो वर्ष के लिए** (**Annex-XVI**) करेगें। समय–समय पर कार्यों के समीक्षोपरान्त/जाँचोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर नवीनीकरण (**दो वर्षों के लिए**) करेंगें। **MOU** के हस्ताक्षर के पश्चात् स्क्रिनिंग कैम्प या स्वीकृत कार्यों या जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा दिये गये कार्यों के स्वीकृति के लिए जिला नोडल पदाधिकारी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कार्यक्रम आरम्भ के **दो सप्ताह पूर्व** अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (**Annex-V**) में सूचना समर्पित करना आवश्यक होगा।

4. NGOs/PVT Practitioners को MoU की वैधता समाप्ति के तीन महीने पूर्व Renewal हेतु आवेदन देना होगा।

5. NGOs/VOs/Pvt.Practitioners जहाँ उनका Base Hospital स्थित है केवल उस जिले के जिला स्वास्थ्य समिति से MoU करना आवश्यक होगा। साथ ही जिला अन्तर्गत मोतियाबिन्द मरीजों को प्राथमिकता के साथ मोतियाबिन्द ऑपरेशन की सुविधा प्रदत्त की जानी है।

6. कोई मरीज अपने गृह जिला को छोड़कर किसी दूसरे जिले में मोतियाबिन्द का ऑपरेशन कराते हैं, तो उसी जिले (जहाँ मरीज का ऑपरेशन किया गया है) के जिला स्वास्थ्य समिति से संस्थाओं/निजी नेत्र रोग विशेषज्ञों को अनुदान राशि देय होगा।

7. NGOs/Pvt.Practitioners अपने Base Hospital वाले जिले को छोड़कर दूसरे जिले में Eye Screening करते है, तो उन्हें उस जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदा0/जिला नोडल पदाधिकारी से **दो सप्ताह पहले** लिखित अनुमति लेना होगा।

8. सभी नेत्र ऑपरेशन Fixed Eye O.T. Facilities में करना आवश्यक होगा ।

9. NGOs/Pvt.Practitioners द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन में NPCB&VI के दिशा–निर्देशों (SoP uploaded in **www.npcbvi.mohfw.gov.in**) का पूर्ण रूप से पालन करना होगा, ताकि किसी प्रकार का mishaps की सम्भावना से बचा जा सके।

10. NGOs/Pvt Practitioners द्वारा मरीजों का **Post -operative follow-up** NPCB&VI के दिशा–निर्देशो (SoP uploaded in **www.npcbvi.mohfw.gov.in**) के आलोक में Eye Screening वाले स्थल पर करेंगें, साथ ही जाँच के लिए Record भी रखेंगें। कम से कम पाँच प्रतिशत (5%) मरीजों का Physical Verification (भौतिक सत्यापन) ऑपरेशन के दिन या Follow up के दिन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला अस्पताल के नेत्र सर्जन, या नेत्र पदाधिकारी/नेत्र सहायक के द्वारा कराया जायेगा। नेत्र सहायक से कराये जाने पर Records को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से Counter sign कराना आवश्यक होगा।

- NGOs/Pvt.Practitioners द्वारा किये जा रहे निःशुल्क मोतियाबिन्द का ऑपरेशन एवं ऑपरेशन उपरान्त Follow-up कि सूचना अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को देना आवश्यक होगा ताकि किये गये मोतियाबिन्द ऑपरेशन के मरीजों का Physical Verification ससमय किया जा सके।

11. चार से पाँच सप्ताह में मरीजों के Visual Outcome का रिकार्ड Cataract Surgery Record के साथ रखना आवश्यक होगा।

12. ऑपरेशन कराये गये मरीजों का **30 दिनों** के बाद जाँच कर आवश्यकतानुसार मुफ्त में नजर का चश्मा देना है।

13. स्क्रिनिंग, चिकित्सा और ऑपरेशन किये गये सभी मरीजों का Records निर्धारित प्रपत्र **(Annex-VII)** में भर कर प्रत्येक महीने अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना आवश्यक होगा।

14. संस्थाओं या नेत्र रोग विशेषज्ञों के द्वारा नेत्र शिविर आयोजित किये जाते है, उसमें आशा कार्यकर्त्ताओं के द्वारा मोतियाबिन्द के मरीजों का ऑपरेशन के लिए लाने पर आशा कार्यकर्ता को मोतियाबिन्द ऑपरेशन के पश्चात् जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा NGOs/VOs/Pvt.Practitioners को दिये जाने वाले अनुदान राशि में से ही संस्थाओं (NGOs/VOs/Pvt.Practitioners) द्वारा 350/–(तीन सौ पचास) रुपये प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन की दर से आशा कार्यकर्ता को भुगतान करना होगा।

➢ **अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया** :–सभी NGOs/VOs/Pvt.Practitioners को भुगतान हेतु निम्नवत् आवश्यक दिशा–निर्देश हैं:–

1. NGOs/VOs/Pvt.Practitioners किये गये मोतियाबिन्द ऑपरेशन का दस्तावेज (Cataract Surgery Record) सुरक्षित रखेंगें।

2. NGOs/Pvt.Practitioners **के द्वारा मोतियाबिन्द ऑपरेशन किये गये मरीजों की प्रविष्टि NPCB&VI** (https://npcbvi.mohfw.gov.in) **के MIS Portal पर होना चाहिए।**

- MIS Portal में मरीजों के आधार नम्बर की प्रविष्टि नहीं करनी है। इसका उपयोग केवल मरीजों के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। उसके स्थान पर किसी अन्य पहचान पत्र (यथा–Voter ID, Driving License, Passport, Ration Card, PAN Number ईत्यादि) के संख्या का उपयोग MIS पर प्रविष्टि के लिये किया जा सकता है।
- MIS Portal में मरीज के मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि करना है। मोबाईल नम्बर नहीं रहने की स्थिति में मरीज के किसी एक Relative's (यथा–Mother, Father, Brother, Sister, Daughter, Spouse आदि) का मोबाईल नम्बर की प्रविष्टि करना अनिवार्य है।

3. NGOs/VOs/Pvt.Practitioners के द्वारा किये गये मोतियाबिन्द ऑपरेशन के अनुदान हेतु अपना अभ्यावेदन के साथ सभी आवश्यक कागजातों एवं कैटरेक्ट सर्जरी रिकार्ड भारत सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र **(Annex-XIX)** में भरकर, कार्य करने के **दो महीने के अंदर** संलग्न कर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत/समर्पित करेंगे।

4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधियों के द्वारा कम से कम 5% मरीजों का Physical Verification किया जायेगा।

5. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी उपलब्ध कराये गये आवश्यक दस्तावेजों का जाँच करेंगे साथ ही Cataract Surgery Record से NPCBVI के MIS Portal पर मरीजों का मिलान करेगें। सही पाये जाने वाले मरीजों को MIS Portal पर approve करेंगे। तत्पश्चात् ही अनुदान राशि के भुगतान की कार्रवाई **राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रणाली** के माध्यम से नियमानुकूल की जायेगी।

- किसी भी दशा में NPCBVI के MIS Portal पर मरीजों के Approval के बिना भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि बिना Approval भुगतान होती है तो इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

6. NGOs/VOs/Pvt.Practitioners के द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन एवं दस्तावेजों के जाँचोपरांत सही पाये जाने पर तीन महीने के अन्दर अनुदान राशि का भुगतान **राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भुगतान प्रणाली** के माध्यम से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा नियमानुकूल करना आवश्यक होगा।

7. अनुदान राशि का भुगतान नियमानुकूल जाँचोपरान्त NPCB&VI के दिशा–निर्देश के अनुसार **NHM के मद से या AB-PMJAY के मद** दोनों में से किसी एक मद से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। एक ही मरीज हेतु का भुगतान NPCB&VI (NHM) एवं AB-PMJAY अंतर्गत दो बार होने की स्थिति में संबंधित जिले के CS/ACMO जवाबदेह माने जायेंगें।

8. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक महीने के समाप्ति पर 5 वें तारीख तक Monthly Physical Performance Report एवं SOE, SPO-Blindness Control Cell के ई–मेल spobdbihar25@gmail.com पर भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ अपने जिले में कार्यरत सभी नेत्र संस्थानों (NGOs/VOs/Pvt.Practitioners/Others) का भी प्रतिवेदन प्राप्त कर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

- आवंटित बजट के अनुरूप ही लक्ष्य का निर्धारण कर मोतियाबिन्द का ऑपरेशन कराया जाना है।
- बजट का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली (समय समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में नियमानुकूल किये जायेंगे।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ० ऋषि कपूर/राजेन्द्र कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9471009964/9931496234

Email Id :- Spobdbihar25@gmail.com

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
(अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष– 2026–27

कार्यक्रम का नामः राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB&VI)
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Cataract Surgery Through Facility.
नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): **NCD-1 S.No -87**

Others including operating costs (OOC):-

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : सरकारी स्वास्थ्य संस्थानो में मरीजों के मुफ्त मोतियाबिन्द ऑपरेशन के लिए 1000/–(एक हजार) रूपये प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन की दर से राशि ऑपरेशन में उपयोग होन वाले Consumables/ Drugs/ Medicines & Others हेतु खर्च करने का प्रावधान है।
ईकाई राशि (रू०) :– 1000/–(एक हजार) प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन।

वित्तीय दिशा निर्देश : सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मोतियाबिन्द के मरीजों का मुफ्त में ऑपरेशन तथा ऑपरेशन के उपरान्त काला चश्मा, दवाईयां दी जानी है। इस हेतु जिला स्वास्थ्य समिति प्रति मोतियाबिन्द ऑपरेशन रु0 1000/–(एक हजार) की दर से राशि व्यय होगी।

- कार्यों के संचालन एवं राशि का खर्च जिला नोडल पदाधिकारी/जिला अस्पतालों के अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं नेत्र सर्जन के संयुक्त सहमति से किये जायेंगे।
- मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग के विभागाघ्यक्ष (HoD Eye)/नोडल पदाधिकारी के सहमती के उपरान्त राशि का व्यय अधीक्षक के द्वारा नियमानुकूल किया जायेगा। एवं राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल पटना द्वारा राशि का खर्च निदेशक के द्वारा नियमानुकूल किया जायेगा।
- मरीजों का Post-operative follow-up NPCB&VI के दिशा–निर्देशो (SoP uploaded in **www.npcbvi.mohfw.gov.in**) के आलोक में संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थान के सर्जन द्वारा किया जायेगा। मरीजों का मोतियाबिन्द ऑपरेशन Fixed Eye O.T Facilities में करना अनिवार्य होगा। ऑपरेशन किये गये मरीजों का कैटेरेक्ट सर्जरी रिकार्ड रखना आवश्यक होगा। साथ ही भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार किये गये मोतियाबिन्द मरीजों की प्रविष्टि NPCB&VI के MIS (https://npcbvi.mohfw.gov.in) पर अनिवार्य रुप से करना होगा।
- मोतियाबिन्द ऑपरेशन में NPCB&VI के दिशा–निर्देशों (SoP uploaded in **www.npcbvi.mohfw.gov.in**) का पूर्ण रूप से पालन करना आवश्यक होगा, जिससे किसी प्रकार के mishaps की सम्भावना से बचा जा सके।
- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/जिला नोडल पदाधिकारी/निदेशक/अधीक्षक/के द्वारा प्रत्येक महीने के पाँचवें तारीख तक Monthly Physical Report एवं SoE, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी अंधापन नियंत्रण के ई–मेल spobdbihar25@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- आवंटित बजट के अनुरूप लक्ष्य का निर्धारण कर मोतियाबिन्द का ऑपरेशन किया जाना है। बजट का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में नियमानुकूल किये जायेंगे।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ0 ऋषि कपूर/राजेन्द्र कुमार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9471009964/9931496234
Email Id- Spobdbihar25@gmail.com

Rai

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
(अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम)
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

Annexure -3

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026 – 2027

कार्यक्रम का नामः **National Mental Health Program (NMHP)**
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): **Implementation of District Mental Health Plan**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): **NCD.2, S.NO 97**
पुराना बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): **NCD.2, S.NO 97**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आनेवाले रोगियों के इलाज हेतु विभिन्न प्रकार के उपस्करों की आवश्यकता होगी। इस हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में चिन्हित Psychological tools for Psychiatrist & Clinical Psychologist का क्रय इस मद से वित्तीय नियमावली के अनुरूप किया जायेगा।

इकाई राशि (रू० में) : रू० 1,00000 प्रति जिला 4 जिलों के लिए।

वित्तीय दिशा निर्देश :

Activity-1: Equipment (Including Furniture, Excluding Computers):-

- Psychiatrist एवं Clinical Psychologist के लिए Psychotherapy tools का क्रय वित्तीय नियमावली के अनुसार किया जाना है।
- इस संदर्भ में पूर्व में प्रषित पत्र सं. 3961 तिथि 30/10/2024
- जिलावार आवंटित की गई राशि की विवरणी निम्नवत है:

SPO
MENTAL HEALTH SHSE

FMR Code- NCD.2, S.No. 97 (Psychological Tools)		
S.No.	**Districts**	**Budget Allocated (in Rupees per year)**
1	Araria	100000
2	Arwal	0
3	Aurangabad	0
4	Banka	0
5	Begusarai	0
6	Bhagalpur	100000
7	Bhojpur	0
8	Buxar	0
9	Darbhanga	100000
10	East-Champaran	0
11	Gaya-Jee	0
12	Gopalganj	0
13	Jamui	0
14	jehanabad	0
15	Kaimur	0
16	Katihar	0
17	Khagaria	0
18	Kishangunj	0
19	Lakhisarai	0
20	Madhepura	0
21	Madhubani	0
22	Munger	0
23	Muzaffarpur	0
24	Nalanda	0
25	Nawada	0
26	Patna	100000
27	Purnea	0
28	Rohtas	0
29	Saharsa	0
30	Samastipur	0
31	Saran	0
32	Sheikhpura	0
33	Sheohar	0
34	Sitamarhi	0
35	Siwan	0
36	Supaul	0
37	Vaishali	0
38	West-Champaran	0
Total (in Rupees)		**400000**

SPO
MENTAL HEALTH, SHSB

S. No.	Psychological Test	Author
1	Rorschach Ink Blot Test	Herman Rorschach
2	Seguin Form Board Test (SFBT)	
3	Bhatia Battery of Performance Intelligence Test	C.M. Bhatia
4	Vineland Social Maturity Scale (VSMS)	J. Bharath Raj. Mallin's
5	Five Factor Personality Inventory - Children(FFPI-C)	Ronnie L. McGhee, David J. Ehrler and Joseph A. Buckhalt
6	Thematic Apperception Test (TAT)	H.A. Murray
7	Indian Adaptation of Thematic Apperception Test	Uma Choudhary
8	Binet Kamat Intelligence Test (BKT) - R	Dr. Vidya Damle
9	Diagnostic Test of Learning Disability (DTLD)	Smriti Swarup and Dharmishta H. Mehta
10	16 P.F. Questionnaire Form A/B/C/D/E	R. B. Cattell & IPAT Staff
11	ADHD Scale	Neetha Jain and Gunthey Ravi
12	Alcohol and Drug Attitude Scale	Sunil Saini & Sandeep Singh
13	Autism Diagnostic Checklist: To identify and Classify Autism (ADCL)	Mallika Banerjee
14	Intelligence Scale for Indian Children(MISIC)	Mallin's
15	Children's Personality Questionnaire (CPQ) Form A	Porter and Cattell.
16	Children's Personality Questionnaire (CPQ) Form B	Porter and Cattell.
17	Developmental Screening Test(DST)	J. Bharat Raj
18	Eysenck's Personality Questionnaire	G.P. Thakur
19	Sack's Sentence Completion Test	Joseph M. Sacks and Sidney Levy
20	Draw a Person	A. Kohli, M. Kaur & R. Malhotra
21	NEO™ Five Factor Inventory-3 (NEO™-FFI-3) Adolescent Form S Kit	Paul T. Costa and Robert R. McCrae
22	NEO™ Five Factor Inventory-3 (NEO™-FFI-3) Adult Form S Kit	Paul T. Costa and Robert R. McCrae
23	Bender Visual-Motor Gestalt Test - Second Edition (BGT - II)	Gary G. Brannigan and Scott L. Decker
24	Childhood Autism Rating Scale - Second Edition (CARS 2)	Eric Schopler, Robert J. Reichler and Barbara Rochen Renner
25	Dementia Rating Scale – Second Edition (DRS-2)	Professional Manual by Paul J. Jurica, Christopher L. Leitten and Steven Mattis
26	Gesell Drawing test of intelligence	S. Venkatesan
27	State Trait Anxiety Inventory for Adults	Charles D. Spielberger
28	State Trait Anxiety Inventory for Children	Charles D. Spielberger
29	AIIMS Neuropsychological Battery Children (Hindi)	Surya Gupta
30	AIIMS Neuropsychological Battery Adults (Hindi)	Surya Gupta

कार्यक्रम का नाम: **National Mental Health Program (NMHP)**
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): **Implementation of TeleMANAS**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): **NCD.2, S.NO 98**
पुराना बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): **NCD.2, S.NO 97**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :
टेली मानस कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस), पटना में स्थापित स्टेट सेल के सुचारू संचालन हेतु आकस्मिक एवं विविध कार्यों के व्यय तथा इंटरनेट/टेलिकॉम हेतु राशि की आवश्यकता होगी।

इकाई राशि (रू० में) : रू० 4,20,000 टेली मानस स्टेट सेल, आईजीआईएमएस, पटना के लिए।

वित्तीय दिशा निर्देश :
Others including operating costs (OOC):-
Activity: - 1(a) Contingency & Miscellaneous & Activity:-1(b) Internet/Telecom vendor charges.

- टेली मानस स्टेट सेल के सुचारू संचालन हेतु आकस्मिक एवं विविध कार्यों के व्यय हेतु रू० 50,000 प्रति माह के दर से 6 माह के लिए।
- टेली मानस स्टेट सेल के सुचारू संचालन हेतु इंटरनेट/टेलिकॉम हेतु रू० 20,000 प्रति माह के दर से 6 माह के लिए।
- आवंटित की गई राशि की विवरणी निम्नवत है:

FMR Code- NCD-2, S.No. 98- TELEMANAS: Others including Operating Costs (OOC)				
		ACTIVITY-1: This is as per TeleMANAS operational guidelines by GOI. (Amount in rs. Per year)		TOTAL AMOUNT UNDER OOC PER DISTRICT PER YEAR (amount in rs. Per year)
S.No.	**Districts**	ACTIVITY-1 (a): Contingency and Miscellaneous for 1 state TMC at IGIMS Patna	ACTIVITY-1 (b): Internet/Telecom vendor charges for 1 state TMC at IGIMS Patna	
39	IGIMS Patna	300000	1,20,000	4,20,000
Total (in Rupees) in Medical Colleges		**300000**	**120000**	**4,20,000**

SPO
MENTAL HEALTH SHSB

कार्यक्रम का नामः National Mental Health Program (NMHP)
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Implementation of District Mental Health Plan

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): Program Management Activities S.No- 194
पुराना बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): NCD.2, S.NO 97

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत क्षेत्र में routine visit हेतु चार पहिया वाहन तथा स्टेशनरी समान का क्रय इस मद से किया जायेगा।

वित्तीय दिशा निर्देश :

Activity-1: Meeting, Workshop and conferences:-

- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन दिनांक 10 अक्टूबर को किया जाना है एवं इस पर होने वाले व्यय का वहन इस मद से किया जा सकता है।
- इकाई राशि (रू० में): रू० 10,000 प्रति जिला 38 जिलों के लिए।

Activity-2: Mobility Support:-

- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधित कार्य जैसे– शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र तथा सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान के लिए चार पहिया वाहन का व्यय इस मद से किया जा सकता है।
- वाहन भाड़ा पर रखने के लिए राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा अनुमोदित दरों का पालन किया जाना है एवं अन्य व्यय – वित्तीय नियमावली के अनुसार किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र सं. 1469 तिथि 30/05/2016
- इकाई राशि (रू० में): रू० 2,50,000 प्रति जिला 14 जिलों के लिए।

Activity-3: Contingency and Miscellaneous expenses:-

- मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत स्टेशनरी समान का क्रय इस मद से व्यय किया जा सकता है।
- जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यालय में स्थापित टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉड बैंड/इंटरनेट/वेबसाइट इत्यादि पर आनेवाले व्यय का भुगतान इस मद से किया जाना है। व्यय का भुगतान वास्तविक विपत्र के अनुसार देय होगा। राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा अनुमोदित दरों का पालन किया जाना है।
- इकाई राशि (रू० में): रू० 2,500 प्रति जिला 16 जिलों के लिए।

SPO
MENTAL HEALTH SHSB

जिलावार आवंटित की गई राशि की विवरणी निमन्वत है:

FMR Code- NCD-2, Old S.No. 97- NMHP- Program Management Activities, New S.No. 194					
		ACTIVITY-1: Meeting, Workshops & conferences	ACTIVITY-2: Mobility Support	ACTIVITY-3: Contingency and Miscellaneous expenses	TOTAL AMOUNT UNDER Program Management Activities per district (amount in rs. Per year)
S.No.	Districts	ACTIVITY: World Mental Health Day (amount in rs. Per year)	ACTIVITY: Hiring Vehicle for field visit (amount in rs. Per year)	ACTIVITY: Contingency and Miscellaneous expenses (amount in rs. Per year)	
1	Araria	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
2	Arwal	10000	0	0	10,000
3	Aurangabad	10000	0	0	10,000
4	Banka	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
5	Begusarai	10000	0	0	10,000
6	Bhagalpur	10000	0	2,500	12,500
7	Bhojpur	10000	0	0	10,000
8	Buxar	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
9	Darbhanga	10000	0	2,500	12,500
10	East-Champaran	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
11	Gaya-Jee	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
12	Gopalganj	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
13	Jamui	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
14	jehanabad	10000	0	0	10,000
15	Kaimur	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
16	Katihar	10000	0	0	10,000
17	Khagaria	10000	0	0	10,000
18	Kishangunj	10000	0	0	10,000
19	Lakhisarai	10000	0	0	10,000
20	Madhepura	10000	0	0	10,000
21	Madhubani	10000	0	0	10,000
22	Munger	10000	0	0	10,000
23	Muzaffarpur	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
24	Nalanda	10000	0	0	10,000
25	Nawada	10000	0	0	10,000
26	Patna	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
27	Purnea	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
28	Rohtas	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
29	Saharsa	10000	0	0	10,000
30	Samastipur	10000	0	0	10,000
31	Saran	10000	0	0	10,000
32	Sheikhpura	10000	0	0	10,000
33	Sheohar	10000	0	0	10,000
34	Sitamarhi	10000	0	0	10,000
35	Siwan	10000	0	0	10,000
36	Supaul	10000	0	0	10,000
37	Vaishali	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
38	West-Champaran	10000	2,50,000	2,500	2,62,500
Total (in Rupees) in district		**380000**	**3500000**	**40000**	**39,20,000**

SPO
MENTAL HEALTH, SHS

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० रजनी कुमारी/ प्रीति बाजपेयी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 6294759207/9113742089

SPO
MENTAL HEALTH, SHSB

Annexure - 7

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः National Tobacco Control Programe (NTCP)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Implementation of COTPA-2003

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): NCD–4, S. No. - 104

वित्तीय दिशा निर्देशः

A. DBT:-

B. Infrastructure - Civil works (I&C) -:

C. Equipment (Including Furniture, Excluding Computers):-

D. Drugs and supplies:-

E. Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport):-

F. Others including operating costs (OOC):-

कार्यक्रम का उद्देश्यः— जिलों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत्त कोटपा–2003, अधिनियम के प्रभावी अनुपालन हेतु जिलों में गठित छापामार दस्तों के द्वारा समय–समय पर छापामारी अभियान चलाया जाना है। कोटपा–2003, अधिनियम का सख्ती के अनुपालन करवाने के उद्देश्य से किये जाने वाले छापामारी अभियान में होने वाले व्यय हेतु राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

इकाई राशि (रू० में):–3,000/- (तीन हजार रुपए) प्रति जिला प्रति छापामारी।

FMR Code	Activities	Unit Cost/ enforcement drive	No. of enforcement drives to be held in a year	No. of Districts	Total Budget for each District for four enforcement drives.
NCD.4 SI.No.-104 (F)	Enforcement Drive for COTPA-2003	Rs. 3,000/-	16	38	Rs. 48,000/- Per District

वित्तीय दिशा निर्देशः— छापामारी अभियान में शामिल छापामर दस्ता के सदस्यों हेतु अल्पाहार, वाहन इत्यादि की व्यवस्था करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त मद में व्यय बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित दिशा–निर्देशो का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० नीरज कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 7070992420

16

Annexure - 7

किियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः National Tobacco Control Programe (NTCP)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Tobacco Cessation

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): NCD–4, S No. - 106

वित्तीय दिशा निर्देशः

A. DBT:-

B. Infrastructure - Civil works (I&C) -:

C. Equipment (Including Furniture, Excluding Computers):-

D. Drugs and supplies:-

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः– तम्बाकू के व्यसन के ग्रसित लोगों को तम्बाकू छोड़ने में सहायत करना इस कार्यक्रम का प्रमुख अव्यव है। इस हेतु जिलों में संचालित Tobacco Cessation Centers म आवश्यकतानुसार आवश्यक दवाओं एवं अन्य Consumables का क्रय किया जा सकता है। इस हेतु इर FMR Code में राशि का प्रावधान किया गया है।

इकाई राशि (रू० में):– 12,000/- (बारह हजार रुपए) प्रति जिला।

FMR Code	Activities	Per District	Total Districts	Total Budget
NCD.4 SI.No.- 106 (D)	Procurement of Medicines & Consumables for TCC under NTCP	Rs. 12,000/- per District	20	Rs. 2,40,000/-

वित्तीय दिशा निर्देशः– Tobacco Cessation में प्रयुक्त होने वाली दवाओं एवं अन्य सामग्रियों कं आवश्यकतानुसार आपूर्त्ति करने हेतु आवंटन उपलब्ध कराई जा रही है। इस मद में राशि का व्यय सामग्रिर की आपूर्त्ति हेतु किया जाना है। दवाओं का प्रकार एवं मात्रा TCC में आनेवाले मरीजों के Case Load व आधार पर निर्धारित किया जा सकेगा। उक्त मद में व्यय बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधि दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

E. Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport):-

F. Others including operating costs (OOC):-

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः– आम जन मानस को तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर हो वाले दुष्प्रभाव एवं इसकी आदत को त्यागने पर होने वाले फायदों के बारे में जागरूक करते हुए इसकी ल को छोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से Sensitization Campaigns, TFYC (Tobacco Free Yout Campaign), तथा Awareness Session इत्यादि किये जाने हेतु विभिन्न स्वास्थ्य दिवस के अवसर प प्रचार–प्रसार करने हेतु Flex/Banner/Poster/Hoarding इत्यादि का मुद्रण करवा कर संस्थानों/स्थलों

प्रदर्शित करने तथा अन्य प्रचार–प्रसार की गतिविधियों का आयोजन करने हेतु राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त मद से राशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित वित्तीय दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

FMR Code	Activities	Unit Cost	Total Districts	Total Budget for Per Districts
NCD.4 SI.No.-106 (D)	Sensitization Campaigns, TFYC & Awareness Session	Rs. 30,000/-	38	Rs. 11,40,000/-

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० नीरज कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 7070992420

Annexure – 7.6

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः National Tobacco Control Programe (NTCP)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर):- Programme Management Activities: - SI. No. – 194

कार्यक्रम का उद्देश्यः–तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा–2003, एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया गया है, जिनके लिए क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित किया जाना है। इसके आयोजन हेतु जिलास्तर/राज्य स्तर पर से किसी संस्थान/संस्था से विशेषज्ञ/Faculty (जो कि तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जानकारी रखता हो) अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित हो, को आमंत्रित किया जाना है। बैठक के आयोजन हेतु हॉल बुकिंग, ऑडियो–विजुअल उपकरण का भाड़ा, प्रतिभागियों के लिए अल्पाहार, फोल्डर, लेटर पैड, पेन, पठन सामग्रियों/PPT, अन्य सामग्रियों की फोटोकॉपी, बैठक के लिए फ्लैक्स बैनर का मुद्रण कराने इत्यादि हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही, जिला स्तर पर संचालित जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग (DTCC) के Office Expence सामग्रियों जैसे:–पेपर, पेन इत्यादि हेतु राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त मद में व्यय बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ) उल्लेखित करें।

(क) पत्र सं०–1001, दिनांक–13.02.2015

(ख)

इकाई राशि (रू० में):–10,000/- (दस हजार रुपए) प्रति जिला दो प्रशिक्षण प्रति वर्ष आयोजन हेतु

Activity: - 1

FMR Code	Activities	Unit Cost	No. of Meetings	Total Districts	Total Budget for Per Districts
194	District Level Co-Ordination Committee meeting	Rs. 5,000/-	2	38	Rs. 10,000/-

Activity: - 2

इकाई राशि (रू० में):–10,000/- (दस हजार रुपए) प्रति जिला दो प्रशिक्षण प्रति वर्ष आयोजन हेतु

FMR Code	Activities	Unit Cost	Total Districts	Total Budget for Per Districts
194	Office Expense	Rs. 10,000/- per Year	38	Rs. 10,000/-

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० नीरज कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 7070992420

(12)

Annexure – 7.1

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः National Tobacco Control Programe (NTCP)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): Capacity building SI. No.-201

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः–

1. लेगों में तम्बाकू इस्तेमाल के हानिकारक प्रभावों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करना ताकि इसके उपयोग से आम जनमानस में होने वाले हानि को कम किया जा सके।
2. कोटपा–2003, के सुसंगत प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा तम्बाकू नियंत्रण गतिविधियों को तेज करना।
3. निम्नाकिंत **एक प्रशिक्षण (प्रशासन, पुलिस, कस्टम, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, सूचना एवं जन–संपर्क विभाग, Prominent & Active NGOs**) तथा **दूसरा प्रशिक्षण** (**स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों/उपाधीक्षकों, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी एवं आई०एम०ए० के प्रतिनिधियों जिला में कार्य करने वाले, कैंसर विशेषज्ञ, ई०एन०टी० सर्जन, दंत चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक अन्य पदाधिकारीगण** (जिनको इस कार्य के हित में बुलाना उचित समझें), मानसिक रोग विशेषज्ञ, नशा–मुक्ति केंद्र के नोडल पदाधिकारी एवं परामर्शी के साथ बैठक आयोजित कर उन्मुखीकरण किया जाना है, जिसमें यथा संभव प्रेस प्रतिनिधि भी आमंत्रित किय जायेंगे।

Activity: - 1

इकाई राशि (रू० में):– 30,000/- (तीस हजार रुपए) प्रति जिला एक संवेदीकरण प्रशिक्षण हेतु।

FMR Code	Activities	Unit Cost	No. of Meetings	Total Districts	Total Budget for Per Districts
201	Training of PRIs representatives/ Police personnel/ Teacher/ Transport personnel/ NGOs personnel/ Other stakeholders	Rs. 30,000/-	1	38	Rs. 30,000/- Per District

Activity: - 2

इकाई राशि (रू० में):–20,000/- (बीस हजार रुपए) प्रति जिला एक प्रशिक्षण प्रति वर्ष हेतु।

FMR Code	Activities	Per Training	No. of Districts	Total Budget for One District
201	Health Professional	Rs. 20,000/-	38	Rs. 20,000/-

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० नीरज कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 7070992420

Annexure – 7.4

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः National Tobacco Control Programe (NTCP)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): IEC & Printing (SI. No.-204)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः–लोगों में तम्बाकू के इस्तेमाल से होनेवाले हानिकारक प्रभावों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करना ताकि इसके उपयोग से आम जनमानस में होने वाली हानि को कम किया जा सके।

इकाई राशि (रू० में):–10,000/- (दस हजार रुपए) प्रति जिला।

FMR Code	Activities	Unit Cost	Total Districts	Total Budget for Per Districts
204	World No Tobacco Day on 31st may	Rs. 10,000/-	38	Rs10,000/-

वित्तीय दिशा निर्देशः– आम जन मानस को तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर होन वाले दुष्प्रभाव एवं इसकी आदत को त्यागने पर होने वाले फायदों के बारे में जागरूक करते हुए इसकी लत को छोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और साथ ही **World No Tobacco Day** इत्यादि मनाये जाने वाले विभिन्न स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रचार–प्रसार करने हेतु Flex/Banner/Poster/Hoarding इत्यादि का मुद्रण करवा कर संस्थानों/स्थलों में प्रदर्शित करने तथा अन्य प्रचार–प्रसार की गतिविधियों का आयोजन करने हेतु IEC & Printing मद में राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उक्त मद से राशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० नीरज कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 7070992420

Annexure - 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नाम: **National Programme for Prevention and Control of NCD (NP-NCD)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : **NCD- 5, Sl. No. 107**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : **NCD Clinic at DH, Sl. No.- 107**

वित्तीय दिशा निर्देश :

D. Drugs and Supplies : NP-NCD कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के जिला एन०सी०डी० क्लिनिक (न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियाल्टी हॉस्पीटल, पटना सहित) के रोगियों के लिए गैर सचारी रोगों (यथा– **Diabetes, Hypertension, Chronic Obstructive Pulmonary Disease-COPD, Chronic Kidney Disease-CKD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease-NAFLD, STEMI** इत्यादि) से संबंधित आवश्यक औषधियों एवं अन्य सामग्रियों (जिनका दर अनुबंध BMSICL के द्वारा नहीं किया गया है) का क्रय BMSICL से N.A. Certificate प्राप्त कर किया जाना है।

सभी 38 जिलों को औषधियों एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु **रू० 02.40 लाख (दो लाख चालीस हजार प्रति जिला)** की दर से बजट आवंटन किया गया है। इन औषधियों एवं सामग्रियों का कय राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जाना है।

इसके उपरान्त अतिरिक्त आवंटन की स्थिति में आवश्यकता का आकलन करते हुए राज्य से अनुरोध किया जा सकता है।

औषधियों के निमानुसार कय एवं निरन्तर उपलब्धता बनाये रखने के लिए संबंधित जिला के जिला गैर सचारी रोग पदाधिकारी का दायित्व होगा।

इकाई राशि(रू० में) : रू० 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार रूपये) प्रति जिला

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD-5 (NCD Clinic at DH) / 107	Drugs & Supplies :	Rs. 2,40,000/- Per District (Rupees Two Lakhs Forty Thousand only)

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

F. OOC (Others Including Operating Costs) : NP-NCD कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार के सभी जिलों के लिए दैनिक व्यय हेतु **रू० 60,000/- (साठ हजार रूपये) प्रति जिला** की दर से राशि अनुमोदित है।

इस राशि से जिला NCD Clinic में उपयोग होने वाले Stethoscope, Professional, BP Apparatus, Measuring Tape, Battery, Weighing Machine, Stadiometer, Pulse Oxymeter, Peak Flow Meter, Torch, Swabs, Swab Stick, Tongue Depressor, Ice Cream Wooden Stick, Mouth Mirror, Acetic Acid, Saline, Speculum, Lignocaine Gel, Curtain, Examination Table, Foot Step, Stool, Hanging Screen/Separator, Distilled Water, Disposable Syringes, Needles, Gloves (Surgical & Latex), Mask, Hand Sanitizer, Cotton, Sprit, Chair, Table, Stationery, Fax, Xerox, Printer Cartridge, Internet Data Card, Hard Disk, NCD कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक के दौरान इत्यादि में व्यय किया जाना है।

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त सामग्रियों/गतिविधियों के लिए आवश्यकता का आकलन कर सिविल सर्जन के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाहरणालय/जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित दर के आधार पर किया जाना है। यदि सामग्री का दर अनुमोदित नहीं है, तो वैसी स्थिति में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधित) का अनुपालन करते हुए नियमानुसार क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।

इकाई राशि(रू० में) : रू० **60,000/-** (साठ हजार रूपये) प्रति जिला

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD-5 (NCD Clinic at DH) / 107	OOC : Others Including Operating Costs (Misc. Contingencies etc.)	Rs. 60,000/- Per District (Rupees Sixty Thousand only)

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० ए० के० शाही/डॉ० नमित कुमार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : **8544402010/ 9470003140**

NCD-5 (S.N.107) NCD Clinics at DH

S.N.	District Name	DH	Drugs and supplies	OOC	TOTAL
	District Total	38	91,20,000	22,80,000	1,14,00,000
1	Araria	1	2,40,000	60,000	3,00,000
2	Arwal	1	2,40,000	60,000	3,00,000
3	Aurangabad	1	2,40,000	60,000	3,00,000
4	Banka	1	2,40,000	60,000	3,00,000
5	Begusarai	1	2,40,000	60,000	3,00,000
6	Bhagalpur	1	2,40,000	60,000	3,00,000
7	Bhojpur	1	2,40,000	60,000	3,00,000
8	Buxar	1	2,40,000	60,000	3,00,000
9	Darbhanga	1	2,40,000	60,000	3,00,000
10	East Champaran	1	2,40,000	60,000	3,00,000
11	Gaya	1	2,40,000	60,000	3,00,000
12	Gopalganj	1	2,40,000	60,000	3,00,000
13	Jamui	1	2,40,000	60,000	3,00,000
14	Jehanabad	1	2,40,000	60,000	3,00,000
15	Kaimur	1	2,40,000	60,000	3,00,000
16	katihar	1	2,40,000	60,000	3,00,000
17	Khagaria	1	2,40,000	60,000	3,00,000
18	Kishanganj	1	2,40,000	60,000	3,00,000
19	Lakhisarai	1	2,40,000	60,000	3,00,000
20	Madhepura	1	2,40,000	60,000	3,00,000
21	Madhubani	1	2,40,000	60,000	3,00,000
22	Munger	1	2,40,000	60,000	3,00,000
23	Muzaffarpur	1	2,40,000	60,000	3,00,000
24	Nalanda	1	2,40,000	60,000	3,00,000
25	Nawada	1	2,40,000	60,000	3,00,000
26	Patna	1	2,40,000	60,000	3,00,000
27	Purnia	1	2,40,000	60,000	3,00,000
28	Rohtas	1	2,40,000	60,000	3,00,000
29	Saharsa	1	2,40,000	60,000	3,00,000
30	Samastipur	1	2,40,000	60,000	3,00,000
31	Saran	1	2,40,000	60,000	3,00,000
32	Sheikhpura	1	2,40,000	60,000	3,00,000
33	Sheohar	1	2,40,000	60,000	3,00,000
34	Sitamarhi	1	2,40,000	60,000	3,00,000
35	Siwan	1	2,40,000	60,000	3,00,000
36	Supaul	1	2,40,000	60,000	3,00,000
37	Vaishali	1	2,40,000	60,000	3,00,000
38	West Champaran	1	2,40,000	60,000	3,00,000

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

Annexure - 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः **National Programme for Prevention and Control of NCD (NP-NCD)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : **NCD- 5, S. No. 108**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : **NCD Clinics at CHC/PHC/SDH/RH, Sl. No.- 108**

वित्तीय दिशा निर्देश :

D. Drugs and Supplies : NP-NCD कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी SDH/RH/CHC/PHC अस्पताल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गैर सचारी रोगों (यथा– **Diabetes, Hypertension**, **Chronic Obstructive Pulmonary Disease-COPD, Chronic Kidney Disease-CKD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease-NAFLD, STEMI** इत्यादि) से संबंधित आवश्यक औषधियों एवं अन्य सामग्रियों (जिनका दर अनुबंध BMSICL के द्वारा नहीं किया गया है) का क्रय BMSICL से N.A. Certificate प्राप्त कर किया जाना है।

सभी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को औषधियों एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु **रू० 14,400 लाख (चौदह हजार चार सौ रूपये)** की दर से बजट आवंटन किया गया है। इन औषधियों एवं सामग्रियों का कय राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जाना है।

यदि अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता है तो आंकलन करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति से अनुरोध किया जा सकता है।

औषधियों एवं अन्य सामग्रियों के नियमानुसार कय एवं निरन्तर उपलब्धता बनाये रखने के लिए संबंधित जिला के संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व होगा।

इकाई राशि(रू० में) : **रू० 14,400/- (चौदह हजार चार सौ रूपये) प्रति स्वास्थ्य संस्थान**

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD-5 (NCD Clinics at CHC/PHC/SDH/RH) / 108	**Drugs & Supplies :**	**Rs. 14,400/- Per Health Facility (Rupees Fourteen Thousand Four Hunderd only)**

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

F. Others Including Operating Costs (OOC) : NP-NCD कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार के सभी जिलों के **PHC/CHC/SDH/RH पर NCD Clinic** के लिए दैनिक व्यय हेतु **रू० 72,000/- (बहतर हजार रूपये) प्रति संस्थान** की दर से राशि अनुमोदित है।

इस राशि से **PHC/CHC/SDH/RH** में उपयोग होने वाले Stethoscope, Professional, BP Apparatus, Measuring Tape, Battery, Weighing Machine, Stadiometer, Pulse Oxymeter, Peak Flow Meter, Torch, Swabs, Swab Stick, Tongue Depressor, Ice Cream Wooden Stick, Mouth Mirror, Acetic Acid, Saline, Speculum, Lignocaine Gel, Curtain, Examination Table, Foot Step, Stool, Hanging Screen/Separator, Distilled Water, Disposable Syringes, Needles, Gloves (Surgical & Latex), Mask, Hand Sanitizer, Cotton, Sprit, Chair, Table, Stationery, Fax, Xerox, Printer Cartridge, Internet Data Card, Hard Disk, ,एवं NP-NCD मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक के दौरान इत्यादि में व्यय किया जाना है।

संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त सामग्रियों/गतिविधियों के लिए आवश्यकता का आकलन करते हुए अनुमोदित दर पर कय किया जाना है। यदि सामग्री का दर अनुमोदित नहीं है, तो वैसी स्थिति में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधित) का अनुपालन करते हुए नियमानुसार क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।

इकाई राशि(रू० में) : रू० 72,000/- (बहतर हजार रूपये) प्रति स्वास्थ्य संस्थान

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD-5 (NCD Clinics at CHC/PHC/RH/SDH) / 108	**Drugs & Supplies :**	**Rs. 72,000/- Per Health Facility per district (Rupees Seventy Two Thousand only)**

(डॉ० नमित कुमार)
वित्त-सह-लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० ए० के० शाही/डॉ० नमित कुमार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 8544402010/ 9470003140

NCD-5 (S.N.108) CHC NCD Clinics

S.N.	District Name	SDH	RH	CHC	PHC	Total CHC, NCD Clinic	Drugs and supplies	OOC	TOTAL
	District Total	55	50	340	155	600	**86,40,000**	**4,32,00,000**	**5,18,40,000**
1	Araria	1	2	4	2	9	1,29,600	6,48,000	7,77,600
2	Arwal			3	2	5	72,000	3,60,000	4,32,000
3	Aurangabad	1	3	6	2	12	1,72,800	8,64,000	10,36,800
4	Banka		3	7	2	12	1,72,800	8,64,000	10,36,800
5	Begusarai	3	2	5	12	22	3,16,800	15,84,000	19,00,800
6	Bhagalpur	2	3	10	2	17	2,44,800	12,24,000	14,68,800
7	Bhojpur	1	3	10	1	15	2,16,000	10,80,000	12,96,000
8	Buxar	1		8	3	12	1,72,800	8,64,000	10,36,800
9	Darbhanga	2	1	13	6	22	3,16,800	15,84,000	19,00,800
10	East Champaran	5		15	11	31	4,46,400	22,32,000	26,78,400
11	Gaya	2		21	2	25	3,60,000	18,00,000	21,60,000
12	Gopalganj	1	3	10	2	16	2,30,400	11,52,000	13,82,400
13	Jamui			8	3	11	1,58,400	7,92,000	9,50,400
14	Jehanabad		2	3	4	9	1,29,600	6,48,000	7,77,600
15	Kaimur	1	1	4	5	11	1,58,400	7,92,000	9,50,400
16	Katihar	2	1	10	6	19	2,73,600	13,68,000	16,41,600
17	Khagaria	1		4	3	8	1,15,200	5,76,000	6,91,200
18	Kishanganj		1	6	1	8	1,15,200	5,76,000	6,91,200
19	Lakhisarai		1	2	4	7	1,00,800	5,04,000	6,04,800
20	Madhepura	1		11	2	14	2,01,600	10,08,000	12,09,600
21	Madhubani	4		16	6	26	3,74,400	18,72,000	22,46,400
22	Munger	1		6	2	9	1,29,600	6,48,000	7,77,600
23	Muzaffarpur		1	15		16	2,30,400	11,52,000	13,82,400
24	Nalanda	2	3	9	7	21	3,02,400	15,12,000	18,14,400
25	Nawada	1	1	10	5	17	2,44,800	12,24,000	14,68,800
26	Patna	4	3	11	13	31	4,46,400	22,32,000	26,78,400
27	Purnia	2	2	5	5	14	2,01,600	10,08,000	12,09,600
28	Rohtas	2	2	13	6	23	3,31,200	16,56,000	19,87,200
29	Saharsa	1		9		10	1,44,000	7,20,000	8,64,000
30	Samastipur	4	1	12	8	25	3,60,000	18,00,000	21,60,000
31	Saran	2	2	12	5	21	3,02,400	15,12,000	18,14,400
32	Sheikhpura		1	3	3	7	1,00,800	5,04,000	6,04,800
33	Sheohar			2	3	5	72,000	3,60,000	4,32,000
34	Sitamarhi	1	1	13	3	18	2,59,200	12,96,000	15,55,200
35	Siwan	1	1	16	3	21	3,02,400	15,12,000	18,14,400
36	Supaul	3	1	6	1	11	1,58,400	7,92,000	9,50,400
37	Vaishali	1	3	10	6	20	2,88,000	14,40,000	17,28,000
38	West Champaran	2	2	12	4	20	2,88,000	14,40,000	17,28,000

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

Annexure – 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः **National Programme for Prevention and Control of NCD (NP-NCD)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : **NCD, S. No. 194**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : **Program Management Activity under NP-NCD**

I. Program Management Activity at District NCD Cell (Monitoring, Vehicle Hire, TA/DA, POL Miscellaneuos Contigency) : NP-NCD कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार के सभी जिलों के जिला NCD सेल द्वारा कार्यक्रम की क्षेत्र में **Monitoring Vehicle Hire, TA/DA,POL Miscellaneous Contigency** हेतु रू० 6,00,000/- (छः लाख) प्रति जिला की दर से राशि अनुमोदित है।
इस राशि का उपयोग जिले के अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गैर संचारी रोग, एवं FLC (प्रभारी सहित) के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण तथा क्षेत्र भ्रमण (NCD कार्य हेतु) इत्यादि कार्य हेतु एक भाड़े की गाड़ी (मासिक आधार पर) रखने का प्रावधान है, जिसका मासिक भुगतान अग्रिम भ्रमण तालिका, भ्रमण प्रतिवेदन, लॉग बुक इत्यादि की जाँच एवं सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। साथ ही, गैर संचारी रोग के मुख्य सूचकांकों के आधार पर खराब उपलब्धि प्रतिवेदित करने वाले अधीनस्थ सस्थान का भ्रमण कर गैर संचारी रोग की समीक्षा करते हुए सिविल सर्जन के माध्यम से उपलब्धि में वृद्धि हेतु कार्ययोजना के साथ भ्रमण प्रतिवेदन राज्य NCD कोषांग को उपलब्ध कराया जाना है।

जिला NCD कोषांग के पदाधिकारी/कर्मी द्वारा राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय बैठक/कार्यशाला में भाग लेने हेतु TA/DA इत्यादि का भुगतान किया जा सकता है तथा जिला NCD कोषांग में दैनिक उपयोग के कार्यों इत्यादि हेतु इस मद से राशि का व्यय किया जा सकता है।

भाड़े की गाड़ी को जिला स्वास्थ्य समिति/जिला समाहरणालय के अनुमोदित दर के आधार पर रखा जा सकता है। यदि दर अनुमोदित नहीं है, तो वैसी स्थिति में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार वित्त नियामवली (संशोधित) का अनुपालन कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

इकाई राशि(रू० में) : रू० **6,00,000/-** (छः लाख) प्रति जिला

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD / 194	Planning & M&E : District NCD Cell (Monitoring Vehicle Hire, TA/DA, POL Miscellaneuos contigency	Rs. 6,00,000/- Per District (Rs. Six Lakhs only)

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

II. Program Management Activity at Block Level : NP-NCD कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी प्रखण्ड पर प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में गैर संचारी रोग के सूचकांकों यथा– CBAC/FF, Screening/Re-screening, Suspected Cases Diagnosis, Treatment, Follow Up, Control ASHA Incentive, Drugs & Logistics इत्यादि पर आयोजित करने हेतु 533 प्रखण्ड हेतु रू0 4,800/– (चार हजार आठ सौ) रू० प्रति प्रखण्ड प्रति माह की दर से राशि अनुमोदित हैं।

संदर्भित मासिक समीक्षात्मक बैठक संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पोषक क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों के MO, APHC पर पदस्थापित MO (आयुष सहित), CHO, ANM, पोषक क्षेत्र में आने वाले NUHM पदाधिकारियों/ कर्मियों, आशा, आशा फैसिलिटेटर/ प्रखण्ड मूल्यान्कन एवं अनुश्रवण सहायक/ प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक/प्रखण्ड लेखा प्रबंधक/प्रखण्ड सामुदायिक उत्प्रेरक (आशा) के द्वारा भाग लिया जाना है। सभी प्रतिभागियों के लिये अल्पाहार/चाय–पानी एवं स्टेशनरी इत्यादि पर इस राशि से व्यय किया जाना है। इस बैठक में NCD एवं NTEP के समन्वय पर चर्चा के लिये NTEP के प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी/ कर्मी को बुलाया जा सकता है।

बैठक की सांकेतिक कार्यसूचीः– NCD पर आशा के प्रशिक्षण की स्थिति, लक्ष्य के अनुरूप आशा द्वारा भरे हुए CBAC/Family Folder, ANM/ CHO/ SN/ Ayush MO के द्वारा किये गए स्क्रीनिंग एवं उसके आधार पर आशा एवं ANM को देय प्रोत्साहन राशि की समीक्षा, NCD re-Screening की अवस्था, NP NCD पोर्टल में Line List Updation, ABHA ID का NP NCD पोर्टल से linkage की अवस्था, Diagnosis, ससमय Follow Up इत्यादि।

प्रत्येक माह की बैठक में अनिवार्य रूप से विगत माह की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की जायेगी एवं अनुपालन प्रतिवेदन को वर्तमान माह के कार्यवाही में सम्मिलित किया जाय। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन/ लिये गए निर्णय से संबंधित सिविल सर्जन को अवश्य अवगत करायेंगे। प्रत्क उपस्थिति पंजी एवं भाउचर के साथ बैठक की कार्यवाही अवश्य संलग्न किया जाय।

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी एवं FLC माह में कम–से–कम दो प्रखण्डों में आयोजित इस बैठक में अवश्य भाग लेंगे।

इकाई राशि (रू० में) : रू० 4,800/- (चार हजार आठ सौ) प्रति माह प्रति प्रखण्ड

वित्तीय दिशा–निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Scheme/Activity	Allocation Per Unit
NCD / 194	NP NCD Monthly Review Meeting fat block level	Rs. 4,800/- (Rs. Four Thousand Eight Hundred only) Per PHC Per Month

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० ए० के० शाही/डॉ० नमित कुमार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 8544402010/ 9470003140

NCD-5 (S.N.194.) Program Management Activities

S.N.	District Name	DH	Block	District NCD Cell Budget Allocation	Block Budget Allocation	Total Budget Allocation
	District Total	38	533	2,28,00,000	2,30,25,600	4,58,25,600
1	Araria	1	7	6,00,000	3,02,400	9,02,400
2	Arwal	1	6	6,00,000	2,59,200	8,59,200
3	Aurangabad	1	9	6,00,000	3,88,800	9,88,800
4	Banka	1	10	6,00,000	4,32,000	10,32,000
5	Begusarai	1	18	6,00,000	7,77,600	13,77,600
6	Bhagalpur	1	13	6,00,000	5,61,600	11,61,600
7	Bhojpur	1	12	6,00,000	5,18,400	11,18,400
8	Buxar	1	12	6,00,000	5,18,400	11,18,400
9	Darbhanga	1	20	6,00,000	8,64,000	14,64,000
10	East Champaran	1	27	6,00,000	11,66,400	17,66,400
11	Gaya	1	24	6,00,000	10,36,800	16,36,800
12	Gopalganj	1	13	6,00,000	5,61,600	11,61,600
13	Jamui	1	12	6,00,000	5,18,400	11,18,400
14	Jehanabad	1	8	6,00,000	3,45,600	9,45,600
15	Kaimur	1	10	6,00,000	4,32,000	10,32,000
16	katihar	1	17	6,00,000	7,34,400	13,34,400
17	Khagaria	1	8	6,00,000	3,45,600	9,45,600
18	Kishanganj	1	8	6,00,000	3,45,600	9,45,600
19	Lakhisarai	1	7	6,00,000	3,02,400	9,02,400
20	Madhepura	1	14	6,00,000	6,04,800	12,04,800
21	Madhubani	1	23	6,00,000	9,93,600	15,93,600
22	Munger	1	9	6,00,000	3,88,800	9,88,800
23	Muzaffarpur	1	16	6,00,000	6,91,200	12,91,200
24	Nalanda	1	17	6,00,000	7,34,400	13,34,400
25	Nawada	1	16	6,00,000	6,91,200	12,91,200
26	Patna	1	25	6,00,000	10,80,000	16,80,000
27	Purnia	1	11	6,00,000	4,75,200	10,75,200
28	Rohtas	1	20	6,00,000	8,64,000	14,64,000
29	Saharsa	1	10	6,00,000	4,32,000	10,32,000
30	Samastipur	1	21	6,00,000	9,07,200	15,07,200
31	Saran	1	18	6,00,000	7,77,600	13,77,600
32	Sheikhpura	1	7	6,00,000	3,02,400	9,02,400
33	Sheohar	1	6	6,00,000	2,59,200	8,59,200
34	Sitamarhi	1	17	6,00,000	7,34,400	13,34,400
35	Siwan	1	20	6,00,000	8,64,000	14,64,000
36	Supaul	1	8	6,00,000	3,45,600	9,45,600
37	Vaishali	1	17	6,00,000	7,34,400	13,34,400
38	West Champaran	1	17	6,00,000	7,34,400	13,34,400

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

Annexure - 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2025–26

कार्यक्रम का नामः **National Programme for Prevention and Control of NCD (NP-NCD)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : **NCD, S. No. 201**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : **District Level Orientation of Medical Officers on Implementation of STEMI & Stroke**

वित्तीय दिशा निर्देश :

I. **District Level Orientation of Medical Officers on Implementation of STEMI & Stroke**

कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों के संबंधित जिला अस्पताल/SDH/ CHC/ PHC पर ECG करने वाले चिकित्सा पदाधिकारी का एक दिवसीय प्रशिक्षित करने के लिए 40,000/–रू० एक बैच के लिये प्रत्येक जिला को बजट आवंटन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण की योजना/ सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति के संबंधित प्रकोष्ठ / क्षेत्रीय प्रबन्धन इकाई से अवश्य साझा करेंगे ताकि अनुश्रवण किया जा सके।

सांकेकित कार्यसूचीः– ECG करना, STEMI cases का ससमय referral, STEMI cases का ससमय प्राथमिक उपचार इत्यादि, STEMI के प्राथमिक उपचार से संबंधित उपचार एवं दवाओं की जानकारी

गैर संचारी रोग पदाधिकारी एवं जिला कार्यकम प्रबन्धक का दायित्व होगा कि वह निरन्तर प्रशिक्षित पदाधिकारियों का Post Training Followups करे।

Tentative Budget for District Level One Day Training under NP-NCD				
Duration of Training	1 day			
Participant	Medical Officer			
Venue	District Level			
Batch Size	30 participant maxes			
Trainer	State / Regional/ District Master Trainer / Trainers by ECG outsource agency / Others			
Particulars	**Unit Rate (in Rs.)**	**No. of Participants**	**No. of Days**	**Total**
Tea Lunch, Snacks & water	500	34 (30 participant +2 Trainers + 2 others)	1	17,000
Training Kit (NPCDCS logo on Bag, Pen, Pad, Training Material Flip chart paper misc etc.)	500	34	1	17,000
Projector & Mike	1,500	1 day	1	1,500
Training Certificate, Misc photocopy etc.	150	30	1	4,500
			Total	**40,000**

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

I. Regional Level Orientation of Medical Officers on Implementation of STEMI & Stroke

कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों के संबंधित जिला अस्पताल/SDH/ CHC/ PHC पर ECG करने वाले चिकित्सा पदाधिकारी का एक दिवसीय प्रशिक्षित करने के लिए 40,000/–रू० प्रत्येक जिला एक बैच प्रशिक्षण के लिये **Regional Programme Unit** को बजट आवंटन किया जा रहा है। जिला अस्पतालों में Thrombolysis की सुविधा अपेक्षित है अतः वहां से 3 चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

प्रशिक्षण की योजना/ सूचना राज्य स्वास्थ्य समिति के संबंधित प्रकोष्ठ से अवश्य साझा करेंगे ताकि अनुश्रवण किया जा सके।

उक्त प्रक्षिण में भाग लेने वाले प्रतिभागियो के भोजनादि ट्रेनिंग कीट प्रोजेक्टर माइक फोटो कोपी मार्कर चार्ट पेपर एवं स्टेशनरी इत्यादि की व्यवस्था कि जानी है।

क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक का यह दायित्व होगा कि प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार करते हुए सभी प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्वक कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रशिक्षणोपरान्त प्रतिवेदन राज्य NCD कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सांकेकित कार्यसूचीः– ECG करना, STEMI cases का ससमय referral, STEMI cases का ससमय प्राथमिक उपचार इत्यादि, STEMI के प्राथमिक उपचार से संबंधित उपचार एवं दवाओं की जानकारी

क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं उप निदेशक गैर संचारी (प्रभारी) का दायित्व होगा कि वह प्रशिक्षित पदाधिकारियों का निरन्तर Post Training Followups करे।

S.N.	Division Name	No of District cover	Budget Allocation
1	Bhagalpur	2	80,000
2	DarbhangaS	3	1,20,000
3	Kosi	3	1,20,000
4	Magadh	5	2,00,000
5	Munger	6	2,40,000
6	Patna	6	2,40,000
7	Purnia	4	1,60,000
8	Saran	3	1,20,000
9	Tirhut	6	2,40,000
	Total	38	**15,20,000**

(डॉ० नमित कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

Annexure – 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नाम: **National Programme for Prevention and Control of NCD (NP-NCD)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : **NCD, S. No. 202**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : **ASHA Incentive under NP-NCD**

ASHA incentives :

(i). Filling up of CBAC & Family Folder आशा द्वारा कार्यक्षेत्र के ऐसे परिवारों जिनका CBAC एवं Family Folder नहीं भरा गया है, उन परिवारें एवं व्यक्तियों का को CBAC एवं Family Folder को पूर्ण रूप से भरने के लिये रु0 10/– की राशि के आशा को भुगतान का प्रावधान है। आशा को भुगतान से पूर्व NP NCD पोर्टल पर प्रविष्टि के आधार पर यह भुगतान किया जाना है।

(ii) Mobilizing NCD patinets for Followup

अपने कार्यक्षेत्र के गैर संचारी रोगी (जिनका उपचार चल रहा है) को प्रत्येक 6 माह पर Follow Up के लिये उत्प्रेरित कर स्वास्थ्य संस्थान लाने पर रु0 50/– प्रति व्यक्ति प्रत्येक छः माह पर देय है। इस भुगतान को छः माह में किये गये कुल follow up पर Pro rata के आधार पर गणना कर भुगतान किया जा सकता है। भुगतान से पूर्व NP NCD पोर्टल पर प्रविष्टि के आधार पर यह भुगतान किया जाना है।

इकाई राशि (रू० में) : (i) रू० 10/- (दस रूपये मात्र) प्रति **CBAC Form** एवं **Family Folder** एवं (ii) **Mobilisation** हेतु 50/– (पचास रूपये) प्रति उपचार व्यक्ति प्रति 6 माह

वित्तीय दिशा–निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Scheme/Activity	Allocation Per Unit
NCD / 202	ASHA Incentives (Under NP NCD)	(i) Rs. 10/- per CBAC alongwith Family Folder (ii)Rs 50/- per patient for follow up paid every 6 months

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० ए० के० शाही/डॉ० नमित कुमार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 8544402010/ 9470003140

(डॉ० नमित कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

NCD-5 (S.N.202) ASHA incentives filling of CBAC Form & Follow up

S.N.	District Name	CBAC Target	CBAC Budget	Follow up Target	Follow up Budget	Total Budget
	District Total	**27,07,000**	**2,70,70,000**	**4,41,753**	**4,41,80,000**	**7,12,50,000**
1	Araria	62,174	6,21,740	11,931	11,93,108	**18,14,848**
2	Arwal	-	-	2,9s74	2,97,408	**2,97,408**
3	Aurangabad	81,044	8,10,440	10,779	10,77,897	**18,88,337**
4	Banka	8,714	87,140	8,635	8,63,465	**9,50,605**
5	Begusarai	37,106	3,71,058	12,606	12,60,569	**16,31,626**
6	Bhagalpur	-	-	12,891	12,89,097	**12,89,097**
7	Bhojpur	1,82,364	18,23,644	11,578	11,57,818	**29,81,462**
8	Buxar	26,281	2,62,810	7,241	7,24,102	**9,86,912**
9	Darbhanga	39,401	3,94,008	16,709	16,70,855	**20,64,863**
10	East Champaran	2,21,166	22,11,655	21,640	21,63,952	**43,75,607**
11	Gaya	2,11,525	21,15,249	18,635	18,63,528	**39,78,777**
12	Gopalganj	-	-	10,872	10,87,207	**10,87,207**
13	Jamui	98,172	9,81,725	7,470	7,47,040	**17,28,765**
14	Jehanabad	42,535	4,25,350	4,775	4,77,534	**9,02,885**
15	Kaimur	-	-	6,902	6,90,167	**6,90,167**
16	katihar	1,71,964	17,19,638	13,032	13,03,212	**30,22,850**
17	Khagaria	9,943	99,430	7,074	7,07,354	**8,06,784**
18	Kishanganj	-	-	7,173	7,17,333	**7,17,333**
19	Lakhisarai	-	-	4,247	4,29,444	**4,29,444**
20	Madhepura	-	-	8,495	8,49,461	**8,49,461**
21	Madhubani	54,098	5,40,984	19,042	19,04,249	**24,45,233**
22	Munger	-	-	5,804	5,80,421	**5,80,421**
23	Muzaffarpur	51,102	5,11,022	20,374	20,37,363	**25,48,385**
24	Nalanda	53,263	5,32,629	12,212	12,21,151	**17,53,780**
25	Nawada	84,748	8,47,477	9,417	9,41,709	**17,89,186**
26	Patna	4,44,424	44,44,241	24,776	24,77,592	**69,21,833**
27	Purnia	1,45,511	14,55,109	13,854	13,85,363	**28,40,472**
28	Rohtas	99,008	9,90,077	12,561	12,56,061	**22,46,138**
29	Saharsa	31,330	3,13,303	8,066	8,06,558	**11,19,861**
30	Samastipur	16,137	1,61,370	18,084	18,08,424	**19,69,794**
31	Saran	1,21,714	12,17,140	16,770	16,76,999	**28,94,139**
32	Sheikhpura	-	-	2,700	2,70,036	**2,70,036**
33	Sheohar	12,417	1,24,165	2,785	2,78,482	**4,02,647**
34	Sitamarhi	2,08,220	20,82,197	14,528	14,52,817	**35,35,014**
35	Siwan	45,605	4,56,053	14,133	14,13,304	**18,69,357**
36	Supaul	-	-	9,459	9,45,924	**9,45,924**
37	Vaishali	1,47,034	14,70,345	14,831	14,83,135	**29,53,480**
38	West Champaran	-	-	16,699	16,69,861	**16,69,861**

(डॉ० नमित कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

Annexure – 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः National Programme for Prevention and Control of NCD (NP-NCD)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : Other NP-NCD Components (IEC & Printing)

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : 204 (51)

पुराना बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : NCD-5, S. No. 110(i).

I. IEC & Printing : i. IEC/BCC Activities (District NCD Cell) :

NP-NCD कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों के लिए आम नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित हेल्थ कैलेण्डर के अनुरूप प्रचार–प्रसार की गतिविधियों के आयोजन हेतु राशि अनुमोदित की गई है।

इस राशि का उपयोग जिला, अनुमंडल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर के NCD Clinic एवं District Day Care Centre पर विश्व कैंसर दिवस (04 फरवरी), राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस (07 नवम्बर), विश्व मधुमेह दिवस (14 नवम्बर), बिहार दिवस (22 मार्च), विश्व हृदय दिवस (29 सितम्बर), विश्व उच्च रक्तचाप दिवस (17 मई) एवं अन्य स्वास्थ्य दिवस/कार्यक्रमों से संबंधित अन्य गतिविधियों के माध्यम से मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की जाँच तथा कैंसर रोगी की खोज, मुफ्त जॉच शिविर लगाने तथा शिविर में प्रतिनियुक्त चिकित्सक एवं सहयोगी कर्मियों हेतु अल्पाहार (पेयजल सहित) एवं चाय–बिस्कुट आदि की व्यवस्था करने, प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार के मुद्रण, रिपोर्टिंग फॉर्मेट, पोस्टर हैण्डबिल, पैम्फलेट, दीवाल लेखन, विज्ञापन, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रैली, Mobile SMS, होर्डिंग की मरम्मति/आवश्यकतानुसार नये होर्डिंग (per District Or per Facility) की स्थापना व उपयुक्त आकार का नया फ्लेक्स बैनर, Standee का संस्थापन/डिस्पले, CBAC & FF, NCD Screening Register (OS & PBS), Follow Up Register (OS & PBS), NCD Diary, NCD Meeting Register, Day Care Cancer Centre OPD Register, Treatment Register का आवश्यकतानुसार मुद्रण, माईक द्वारा प्रचार, पुरस्कार वितरण इत्यादि के लिए किया जाना है। साथ ही जिला स्तर पर NCD अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों/स्वास्थ्य कर्मियों आदि को प्रशस्ति–पत्र/पुरस्कार वितरण करना सुनिश्चित किया जाना है।

गैर संचारी रोग पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत निदेश के अनुरूप विभिन्न स्वास्थ्य दिवसों के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर प्रचार–प्रसार की गतिविधियों को सम्पादित कराना सुनिश्चत करेंगे तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन राज्य NCD कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(डॉ० नमीत कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

Annexure - 7

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः **National Oral Health Program (NOHP)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष **(ROP** के आधार पर**): Implementation at DH**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (**ROP** के आधार पर)ः **NCD–8, S. No.- 115**

वित्तीय दिशा निर्देशः

A. DBT:-

B. Infrastructure - Civil works (I&C) -:

C. Equipment (Including Furniture, Excluding Computers):-

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः– National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से Oral & Dental (मुख एवं दंत) सम्बन्धी रोगों से बचाव एवं रोकथाम किया जाना है। जिसके कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव से लोगों को बचाया जा सके। राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वित है।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य के 35 जिला/ सदर अस्पतालों हेतु दंत–चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरणों के लिए प्रति संस्थान 5,800 /- (पाँच हजार आठ सौ) की राशि का आवंटन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इकाई राशि (रू०) में : 5,800/- (पाँच हजार आठ सौ) की राशि प्रति जिला अस्पताल।

क्र० सं०	Particular	कुल जिला अस्पताल	प्रति स्वास्थ्य संस्थान राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)
1.	Equipment (including Furniture excluding computers)	35	5,800/-	2,03,000/-

वित्तीय दिशा निर्देशः– National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत संसूचित स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी के इलाज हेतु दंत–चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरणों के लिए Equipment (including Furniture excluding computers) मद से राशि का व्यय जिले में संबंधित संस्थान में कार्यरत Dental Chair की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पदस्थापित दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोगिता के अनुसार संलग्न उपकरणों की सूची से अंतर–विश्लेषण करने के पश्चात मांग की गयी Equipment की

सूची के अनुरूप, आवश्यकता अनुसार बिहांर वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित दिशा– निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

D. Drugs and supplies:-

E. Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport):-

<u>कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः–</u> National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से Oral & Dental (मुख एवं दंत) सम्बन्धी रोगों से बचाव एवं रोकथाम किया जाना है। जिसके कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव से लोगों को बचाया जा सके। राज्य के सभी 35 जिला अस्पतालों में कार्यक्रम क्रियान्वित है।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य के सभी जिलों के सूचीबद्ध जिला अस्पतालों हेतु दंत चिकित्सा में उपयोग होने वाले Consumables के लिए प्रति संस्थान 20,000/- (बीस हजार रुपए) का आवंटन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इकाई राशि (रू० में) : 20,000/- (बीस हजार रुपए) प्रति जिला अस्पताल।

क्र० सं०	Particular	कुल जिला अस्पतालों की संख्या	प्रति जिला अस्पताल राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)
1.	Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)	35	20,000/-	7,00,000/-

<u>वित्तीय दिशा निर्देशः–</u> National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत 35 जिला अस्पतालों में रोगी के इलाज हेतु आवश्यक Consumable के लिए Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) मद से राशि का व्यय जिले में संबंधित संस्थान में कार्यरत Dental Chair की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पदस्थापित दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोगिता के अनुसार मांग की गई consumables की सूची के अनुरूप, बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

F. Others including operating costs (OOC):-

G. Surveillance, Research, Review, Evaluation (SRRE):-

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० नीरज कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 7070992420

Annexure - 7

कियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नामः National Oral Health Program (NOHP)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Implementation at CHC/SDH

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): NCD–8, S. No.- 116

वित्तीय दिशा निर्देशः

A. DBT:-

B. Infrastructure - Civil works (I&C) -:

C. Equipment (Including Furniture, Excluding Computers):-

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः– National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से Oral & Dental (मुख एवं दंत) सम्बन्धी रोगों से बचाव एवं रोकथाम किया जाना है। जिसके कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव से लोगों को बचाया जा सके। राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वित है।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य के सभी 38 जिलों के सूचीबद्ध अनुमंडलीय अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु दंत–चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरणों के लिए प्रति संस्थान 2,186 /- (दो हजार एक सौ छियासी रुपए) का आवंटन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इकाई राशि (रू०में) : 2,186/- (दो हजार एक सौ छियासी रुपये) प्रति सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थान।

क्र० सं०	Particular	संसूचित स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या	प्रति स्वास्थ्य संस्थान राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)
1.	Equipment (including Furniture excluding computers)	485	2,186/-	10,60,210/-

<u>वित्तीय दिशा निर्देशः–</u> National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत संसूचित स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी के इलाज हेतु दंत–चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरणों के लिए Equipment (including Furniture excluding computers) मद से राशि का व्यय जिले में संबंधित संस्थान में कार्यरत Dental Chair की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पदस्थापित दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोगिता के

अनुसार संलग्न उपकरणों की सूची से अंतर–विश्लेषण करने के पश्चात मांग की गयी Equipment की सूची के अनुरूप, आवश्यकता अनुसार बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित दिशा– निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

D. Drugs and supplies:-

E. Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport):-

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः– National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से Oral & Dental (मुख एवं दंत) सम्बन्धी रोगों से बचाव एवं रोकथाम किया जाना है। जिसके कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव से लोगों को बचाया जा सके। राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम क्रियान्वित है।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य के सभी 38 जिलों के सूचीबद्ध अनुमंडलीय अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु दंत चिकित्सा में उपयोग होने वाले Consumables के लिए प्रति संस्थान 16,000/- (सोलह हजार रुपए) का आवंटन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इकाई राशि (रू० में) : 16,000/- (सोलह हजार रुपए) प्रति सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थान।

क्र० सं०	Particular	संसूचित स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या	प्रति स्वास्थ्य संस्थान राशि (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)
1.	Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport)	485	16,000/-	77,60,000/-

वित्तीय दिशा निर्देशः– National Oral Health Program (NOHP) कार्यक्रम के अंतर्गत संसूचित स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी के इलाज हेतु आवश्यक Consumable के लिए Diagnostics (Consumables, PPP, Sample Transport) मद से राशि का व्यय जिले में संबंधित संस्थान में कार्यरत Dental Chair की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं पदस्थापित दंत चिकित्सक के द्वारा उपयोगिता के अनुसार मांग की गई consumables की सूची के अनुरूप, बिहार वित्तीय नियमावली एवं अन्य संशोधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जाना है।

F. Others including operating costs (OOC):-

G. Surveillance, Research, Review, Evaluation (SRRE):-

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० नीरज कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर : 7070992420

वित्तीय वर्ष 2026–27

बजट आवंटन हेतु कुल 485 स्वास्थ्य संस्थानों की सूची
(अनुमंडलीय अस्पताल तथा सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित)

Sl. No.	Districts	SDH	CHC/PHC	Total Facilities
1	Araria	SDH Farbisganj		
			Bhargama	
			Narpatganj	
			Palasi	
			Sikti	
			Kursakanta	
	Total	1	**5**	**6**
2	Arwal		Kaler	
			Karpi	
			Kurtha	
			Banshi	
	Total	0	**4**	**4**
3	Aurangabad		Barun	
			Goh	
			Deo	
			Obra	
			Madanpur	
			Rafiganj	
			Daudnagar	
	Total	0	7	7
4	Banka	0	Belhar	
			Dhoraiya	
			Rajoun	
			Barahat	
			Chanan	
			Shambhuganj	
			Phullidumar	
	Total	0	7	7
5	Begusarai	SDH Balia		
		SDH Manjhaul		
		SDH Teghra		
			Bachhwara	
			Barauni	
			Bariyarpur	
			Khodawandpur	
			Kamal	
			Bakhri	
			Bhagwanpur	
			Chhaurahi	

			Dandari	
			Gadhpura	
			Mansurchak	
			Kurtha	
			Birpur	
			Nawkothi	
	Total	3	14	**17**
6	Bhagalpur	SDH Kahalgaon		
		SDH Naugachhia		
			Bihpur	
			Gopalpur	
			Ismailpur	
			Sadar	
			Narayanpur	
			Sabour	
			Chowk	
			Shahkund	
			Sonhaula	
			Gauradih	
			Kharik	
	Total	2	11	**13**
7	Bhojpur	SDH Jagdishpur		
			Agiaon	
			Barahara	
			Bihiya	
			Garhani	
			Koilwar	
			Piro	
			Tarari	
			Charpokhari	
			Sahar	
			Udwantnagar	
	Total	1	10	**11**
8	Buxar	SDH Dumraon		
			Brahmpur	
			Chausa	
			Itarhi	
			Nawanagar	
			Rajpur	
			Simri	
			Chaugain	
			Chakki	
			Kesath	
	Total	1	9	**10**
		SDH Benipur		

9	Darbhanga	SDH Biraul		
			Alinagar	
			Baheri	
			Jaale	
			Bahadurpur	
			Ghanshyampur	
			Nagar	
			Hayaghat	
			Kiratpur	
			Rahika	
			Singhwara	
			Tardih	
			Keoti	
			Benipur	
			Ghorabiram	
			Ghat	
			Manigachhi	
			Sadar	
			East	
	Total	2	18	**20**
10	East Champaran	SDH Areraj		
		SDH Chakiya		
		SDH Dhaka		
		SDH Pakridayal		
		SDH Raxaul		
			Chhoradano	
			Chiraiya	
			Ghorasahan	
			Harsidhi	
			Kalyanpur	
			Keshariya	
			Mehasi	
			Paharpur	
			Patahi	
			Piprakothi	
			Sangrampur	
			Sugauli	
			Turkauliya	
			Adapur	
			Madhuban	
			Areraj	
			Banjaria	
			Fenhara	
			Kotwa	
			Ramgadhwa	

			Tetariya	
			Bankatwa	
	Total	5	22	**27**
11	Gaya	SDH Sherghati		
		SDH Tekari		
			Amas	
			Atri	
			Bazar	
			Barachatti	
			Belaganj	
			Bodhgaya	
			Dobhi	
			Fatehpur	
			Guraru	
			Gurua	
			Imamganj	
			Konch	
			Maanpur	
			Mahakar	
			Mohanpur	
			Mohara	
			Bathani	
			Paraiya	
			Tankuppa	
			Wazirganj	
			Khizarsarai	
			Dumaria	
	Total	2	22	**24**
12	Gopalganj	SDH Hathua Ram Dulari Kunwar		
			Thawe	
			Baikunthpur	
			Barauli	
			Manjha	
			Panchdevari	
			Uchkagaon	
			Kuchaikote	
			Sidhwaliya	
			Vijaipur	
	Total	1	9	**10**
			Gidhaur	
			Jhajha	
			Khaira	
			Sono	

13	Jamui		Sikandara	
			Chakai	
			Laxmipur	
			Barhat	
			Aliganj	
	Total	0	9	**9**
14	Jehanabad		Hulasganj	
			Kako	
			Shakurabad	
			Faridpur	
			Ghoshi	
			Okari	
	Total	0	6	**6**
15	Kaimur	SDH Mohania		
			Bhagawanpur	
			Chainpur	
			Chand	
			kudra	
			Ramgarh	
			Adhaura	
			Durgawati	
			Nuaon	
			Rampur	
	Total	1	9	**10**
16	Katihar	SDH Manihari		
		SDH Barsoi		
			Azamnagar	
			Barari	
			Dandkhora	
			Falka	
			Kadwa	
			Pranpur	
			Balrampur	
			Korha	
			Mansahi	
			Sameli	
			Amdabad	
			Hasanganj	
			Kursela	
	Total	2	13	**15**
17	Khagaria	SDH Gogri		
			Alauli	
			Chautham	
			Mansi	
			Parbatta	

			Beldaur	
	Total	1	5	**6**
18	Kishanganj		Kochadhman	
			Bahadurganj	
			Bank	
			Pothia	
			Terhagachh	
			Thakurganj	
	Total	0	6	**6**
19	Lakhisarai		Halsi	
			Suryagarha	
			Barahiya	
			Chanan	
			Pipariya	
			Chowk	
	Total	0	6	**6**
20	Madhepura		Alamnagar	
			Bihariganj	
			Murliganj	
			Puraini	
			Shankarpur	
			Chausa	
			Gwalpara	
			Singheshwar	
			Gamhariya	
			Kumarkhand	
			Murho	
			Ghaillarh	
			Kishanganj	
	Total	0	13	**13**
21	Madhubani	SDH Benipatti		
		SDH Jaynagar		
		SDH Jhanjharpur		
		SDH Phulparas		
			Andhrathadhi	
			Babubarhi	
			Basopatti	
			Bisfi	
			Harlakhi	
			Kaluahi	
			Khajauli	
			Khutauna	
			Ladania	
			Lakhnaur	
			Laukahi	

			Madhwapur	
			Pandaul	
			Rajnagar	
			Ghoghardiha	
			Madhepur	
	Total	4	16	**20**
22	Munger	SDH Tarapur		
			Dharhara	
			Kharagpur	
			Sangrampur	
			Bariyarpur	
			Jamalpur	
			Bambar	
	Total	1	6	**7**
23	Muzaffarpur		Aurai	
			Bandra	
			Bochahan	
			Gaighat	
			Kanti	
			Katra	
			Kudhani	
			Marwan	
			Minapur	
			Motipur	
			Paroo	
			Saraiya	
			Dholi)	
			Sadar	
			Sahebganj	
	Total	0	15	**15**
24	Nalanda	SDH Hilsa		
		SDH Rajgir		
			Chandi	
			Ekangarsarai	
			Giriyak	
			Islampur	
			Noorsarai	
			Parwalpur	
			Rahui	
			Sarmera	
			Silao	
			Hilsa	
			Rajgir	
			Nagarnausa	
			Tharthari	

			Ben	
			Bind	
			Harnaut	
			Karaiparsurai	
			Katrisarai	
	Total	2	18	**20**
25	Nawada	SDH Rajauli		
			Akbarpur	
			Govindpur	
			Hisua	
			Kashichak	
			Meskaur	
			Nardiganj	
			Narhat	
			Pakribarwan	
			Warsaliganj	
			Kauwakol	
			Roh	
			Sirdalla	
	Total	1	12	**13**
26	Patna	SDH Barh		
		SDH Danapur		
		SDH Masaurhi		
		SDH Paliganj		
			Athmalgola	
			Bakhtiyarpur	
			Bihta	
			Daniyawan	
			Dhanarua	
			Bazar	
			Fatuha	
			Ghoswari	
			Shariff	
			Punpun	
			Nagar	
			Belchhi	
			Khusroopur	
			Pandarak	
			Sadar	
			Sampatchak	
			Bikram	
			Maner	
			Mokama	
	Total	4	19	**23**
		SDH Banmankhi		

27	Purnea	SDH Dhamdaha		
			Bhawanipur	
			Baisi	
			Baisa	
			Kasba	
			Kothi	
			Dagarua	
			Jalagarh	
			Mahendrapur	
			Nagar	
			Srinagar	
	Total	2	10	**12**
28	Rohtas	SDH Bikramganj		
		SDH Dehri		
			Chenari	
			Dawath	
			Karakat	
			Kargahar	
			Kochas	
			Sanjhauli	
			Shivsagar	
			Tilauthu	
			Akhodhigola	
			Dinara	
			Kudra	
			Nasriganj	
			Nokha	
			Rajpur	
			Suryapura	
	Total	2	15	**17**
29	Saharsa	SDH Simri Bakhtiyarpur		
			Sadar	
			Mahishi	
			Salkhua	
			Saurbazar	
			Nauhatta	
			Patharghat	
			Kataiya	
			Ithahri	
			Panchgachhia	
			Sonbarsa	
	Total	1	10	**11**
		SDH Dalsinghsarai		
		SDH Patori		
		SDH Pusa		

30	Samastipur	SDH Rosera		
			Bibhutipur	
			Kalyanpur	
			Khanpur	
			Mohanpur	
			Morwa	
			Ranjan	
			Singhia	
			Nagar	
			Bithan	
			Hasanpur	
			Mohadinagar	
			Ujiyarpur	
			Nagar	
			Tajpur	
			Warisnagar	
	Total	4	15	**19**
31	Saran	SDH Marhaurah		
		SDH Sonpur		
			Amnour	
			Dariyapur	
			Ekma	
			Garkha	
			Jalalpur	
			Manjhi	
			Mashrakh	
			Parsa	
			Revelganj	
			Dighwara	
			Isuapur	
			Nagra	
			Bazar	
			Maker	
			Panapur	
	Total	2	15	**17**
32	Sheikhpura		Ariyari	
			Barbigha	
			Chewara	
			Ghatkusumbha	
			Shekhopursarai	
	Total	0	5	**5**
33	Sheohar		Katesari	
			Piprahi	
			Puranhiya	
			Sheohar	

			Tariyani	
	Total	0	5	**5**
34	Sitamarhi	SDH Belsand		
		SDH Pupri		
			Bairgania	
			Bajpatti	
			Bathnaha	
			Bokhra	
			Choraut	
			Nanpur	
			Saidpur	
			Sonbarsa	
			Suppi	
			Parsauni	
			Parihar	
			Riga	
			Sursand	
			Dumra	
	Total	2	14	**16**
35	Siwan	SDH Maharajganj		
			Andhar	
			Barhariya	
			Basantpur	
			Guthani	
			Hasanpura	
			Hussainganj	
			Nabiganj	
			Panhrukhi	
			Siswan	
			Hat	
			Daraunda	
			Goriakothi	
			Mairwa	
			Nautan	
			Raghunathpur	
			Ziradei	
			Darauli	
	Total	1	17	**18**
36	Supaul	SDH Nirmali		
		SDH Triveniganj		
			Chhatapur	
			Pipra	
			Bhaptiyahi	
			Pratapganj	
			Kishanpur	

			Marauna	
			Raghopur	
			Basantpur	
	Total	2	8	**10**
37	Vaishali	SDH Mahua		
			Bhagwanpur	
			Bidupur	
			Desari	
			Goraul	
			Jandaha	
			Buzurg	
			Pakar	
			Mahnar	
			Chehrakalan	
			Hajipur	
			Belsar	
			Patepur	
			Raghopur	
			Vaishali	
	Total	1	14	**15**
38	West Champaran	SDH Bagha		
		SDH Narkatiaganj		
			Bairia	
			Bhitaha	
			Chainpatia	
			Madhubani	
			Mainatand	
			Manjhaulia	
			Ramnagar	
			Sikta	
			Thakraha	
			Yogapatti	
			Nautan	
			Piprasi	
			Balmiki Nagar Harnatand Bagha-II	
	Total	2	13	**15**
		कुल	**स्वास्थ्य संस्थानों की सूची**	**485**

Annexure - 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–27

कार्यक्रम का नाम: **National Programme for Palliative Care (NPPC)**

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर) : **NCD- 9, Sl. No. 119**

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर) : **Implementation of NPPC, Sl. No.- 119**

वित्तीय दिशा निर्देश :

C. Equipment: National Programme for Palliative Care (NPPC) कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार के **राज्य के सभी सदर अस्पताल में Palliative Care की OPD का संचालन किया जाना है।** इस कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार के सभी जिलों के लिए उपकरण मद में **रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रति जिला** की दर से राशि अनुमोदित है।

इस राशि से **NPPC** में उपयोग होने वाले Stethoscope, Professional BP Apparatus, Torch, Nebulizer Machine, Bipap Machine इत्यादि का क्रय किया जाना है।

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त उपकरण/सामग्रियों/गतिविधियों के लिए आवश्यकता का आकलन कर सिविल सर्जन से अनुमोदन प्राप्त कर अनुमोदित दर के आधार पर क्रय किया जाना है। यदि सामग्री का दर अनुमोदित नहीं है, तो वैसी स्थिति में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधित) का अनुपालन करते हुए नियमानुसार क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।

इकाई राशि(रू० में) : रू० 50000 हजार (पचास हजार प्रति जिला)

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD-9. Sl. No.119	Equipment	Rs. 50,000/- Per District (Rupees Fifty thousand only)

D. Drugs and Supplies : National Programme for Palliative Care (NPPC) कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के सभी 38 जिलों के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के रोगियों के लिए **Non-Opioid Drug/Opioid Drug** इत्यादि से संबंधित आवश्यक औषधियों एवं अन्य सामग्रियों (जिनका दर अनुबंध BMSICL के द्वारा नहीं किया गया है) का क्रय BMSICL से N.A. Certificate प्राप्त कर किया जाना है।

सभी 38 जिलों को औषधियों एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु **रू० 50000 हजार (पचास हजार प्रति जिला)** की दर से बजट आवंटन किया गया है। इन औषधियों एवं सामग्रियों का कय राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जाना है।

इसके उपरान्त अतिरिक्त आवंटन की स्थिति में आवश्यकता का आकलन करते हुए राज्य से अनुरोध किया जा सकता है।

(डॉ० समित कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(53)

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

औषधियों के नियमानुसार क्रय एवं निरन्तर उपलब्धता बनाये रखने के लिए संबंधित जिला के जिला गैर सचारी रोग पदाधिकारी का दायित्व होगा।

इकाई राशि(रू० में) : रू० 50000 हजार (पचास हजार प्रति जिला)

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD-9. Sl. No.119	**Drugs & Supplies :**	**Rs. 50,000/- Per District (Rupees Fifty thousand only)**

F. OOC (Others Including Operating Costs): National Programme for Palliative Care (NPPC) कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार के सभी जिलों के लिए हेतु **रू० 50,000/- (पचास हजार रूपये) प्रति जिला** की दर से राशि अनुमोदित है।

इस राशि का उपयोग Contingency, Mobility, Transport, Home base care इत्यादि में किया जाना है।

जिला गैर संचारी रोग पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त सामग्रियों/गतिविधियों के लिए आवश्यकता का आकलन कर सिविल सर्जन के द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर जिला समाहरणालय/जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदित दर के आधार पर किया जाना है। यदि सामग्री का दर अनुमोदित नहीं है, तो वैसी स्थिति में कार्य की महत्ता एवं आवश्यकता को देखते हुए बिहार वित्तीय नियमावली (संशोधित) का अनुपालन करते हुए नियमानुसार क्रय करना सुनिश्चित करेंगे।

इकाई राशि(रू० में) : रू० 50,000/- (पचास हजार प्रति जिला) प्रति जिला

वित्तीय दिशा निर्देश :

New FMR Code / Sl. No.	Name of Activity	Allocation Per Unit
NCD-9. Sl. No.119	OOC: Others Including Operating Costs (Misc. Contingencies etc.)	Rs. 50,000/- Per District (Rupees Fifty thousand only)

(डॉ० नमित कुमार)
वित्त–सह–लॉजिस्टिक सलाहकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
NPCDCS

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० ए० के० शाही/डॉ० नमित कुमार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 8544402010/ 9470003140

Annexure - 2

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2026 – 2027

कार्यक्रम का नामः National Programme For Prevention and Control of Fluorosis (NPPCF)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): NCD.10

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): Implementation of NPPCF, SL. No: 120

वित्तीय दिशा निर्देश :

H.Others including operating costs(OOC)-:

National Programme for Prevention and Control of Fluorosis (NPPCF) कार्यक्रम अन्तर्गत फ्लोरोसिस नामक बीमारी का नियंत्रण एवं रोकथाम किया जाना है । राज्य के कुछ चिन्हित जिलों के पेयजल में फ्लोराईड की मात्रा मानक से अधिक पाया गया है। जिस कारण डेंटल फ्लोरोसिस तथा स्कैलटल फ्लोरोसिस संबंधी बीमारी में बढ़ोतरी हुई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्धेश्य आमजनों को फ्लोरोसिस नामक रोग से बचाव करना है। राज्य के 11 जिलों यथा– गया, नवादा, नालंदा, कैमूर, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, औरंगाबाद, शेखपुरा एवं रोहतास में यह कार्यक्रम क्रियान्वित है। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु Medical Management including Treatment, Surgery and Rehab के अन्तर्गत फ्लोरोसिस के कारण विकृत अंगों से ग्रसित मरीजों का Surgical Management: decompression, orthopaedic & neuro surgical management, Rehabilitation: provision of crutches, wheel chairs, tricycles इत्यादि तथा Physiotherapy: corrective plasters, limb orthoses/appliances (Mermaid splint, KAFO) के माध्यम से इलाज किया जाना है। Medical Management including Treatment, Surgery and Rehab मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि 226000/– (दो लाख छबीस हजार) रूपये प्रति चिन्हित जिला में व्यय किया जाना है। Medical Management के लिए आवश्यक है कि सभी Fluorosis मरीजों का linelisting उपलब्ध हो। Line listing के लिए ASHA द्वारा affected

habitations में House to House Survey किया जायेगा। School Health Survey (in coordination with RBSK) के द्वारा भी Line list collect किया जायेगा। Line listing compile करने के बाद suspected Fluorosis मरीजों को camp में बुलाकर उनका random urine sample collect कर identified Lab में confirmation के लिए भेजा जायेगा।

इकाई राशि (रू० में) : रू0 226000/– (दो लाख छबीस हजार) रुपये प्रति चिन्हित जिला के लिए

Recurring Grant-in-aid (Forgoing selected districts under NPPCF): Medical management including Treatment, Surgery & Rehab, Lab sample collection and ASHA incentive@100/Case search and follow up		
Sl No	**District**	**Allocation**
1	Aurangabad	226000
2	Banka	226000
3	Bhagalpur	226000
4	Gaya	226000
5	Jamui	226000
6	Kaimur	226000
7	Munger	226000
8	Nalanda	226000
9	Nawada	226000
10	Rohtas	226000
11	Sheikhpura	226000

वित्तीय दिशा निर्देश :

I. IEC & Printing -:

National Programme for Prevention and Control of Fluorosis कार्यक्रम अंतर्गत बीमारी से बचाव के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गयी है। यह कार्यक्रम राज्य के 11 जिलों यथा – बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, कैमूर, औरंगाबाद एवं रोहतास में क्रियान्वित है। इस कार्यक्रम को सुगम एवं प्रभावी ढ़ंग से लागू करने की योजना है।

इकाई राशि (रू० में) :

NPPCF				
क्र. सं.	**जिला का नाम**	**इकाई राशि (रू० में)**	**गतिविधि**	**कुल राशि आवंटन (रूपये में)**

1.	बांका, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, कैमूर, औरंगाबाद एवं रोहतास	72727 /– प्रति जिला	इस कार्यक्रम के संदर्भ में जनमानस के मध्य जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पोस्टर, बैनर, पम्पलेट व अन्य प्रचार–प्रसार गतिविधि इत्यादि (जिसकी आवश्यकता हो) का क्रियान्वयन कराकर प्रचारित करने हेतु।	800000 (Eight Lakhs only)

वित्तीय दिशा–निर्देश:

उक्त का व्यय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/संदर्भित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निविदा/कोटेशन के आधार पर अनुमोदित दर अथवा वित्तीय नियमानुकूल स्थानीय दर पर उक्त कार्य का सम्पादन कराया जाना है। जिस सामग्री/गतिविधि का दर निर्धारित नहीं है, वैसी स्थिति में कार्यक्रम की महत्ता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन कर नियमानुकूल कार्य सुनिश्चित किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : Dr AK Shahi/ Dr. Ragini Mishra

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 8544402010/9798273632

(डॉ० ए० के० शाही)
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

<u>क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2026–2027</u>

कार्यक्रम का नामः National Programme for Prevention and management of Burn and injuries

बजट/एफ0 एम0 आर0 शीर्ष (ROP के आधार पर): Support for Emergency Trauma Care

नया बजट क्रम संख्या/एफ0 एम0 आर0 शीर्ष (ROP के आधार पर): NCD.12 S.N- 125

<u>कार्यक्रम का संक्षित विवरणः–</u>

1. सड़क दुर्घनटओं को कम करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिवार के साथ बैठक आयोजित किया जाना है जिसका उद्देश्य होगा कि सड़क सुरक्षा के तीन आयाम यथा–दुर्घटना स्थल पर समुदाय का व्यवहार, एम्बुलेन्स का तत्परता तथा अस्पताल में इलाज के लिए तत्कालिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था।

<u>ईकाई राशिः–</u>

1. 9 प्रमण्डलों के लिए स्वीकृत राशि 27 लाख रूपये है।

<u>वित्तीय दिशा–निर्देशः–</u>

Surveillance Research, Review, and evaluation

1. इस गतिविधि के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रबंधन ईकाई को प्रति जिला 5000/– (पांच हजार रूपये) की राशि आवंटित की गई है जिसमें वाहन, विशेषज्ञ का मानदेय, स्टेशनरी एवं भोजन आदि की राशि आवंटित की गई है। क्षेत्रीय प्रबंधन ईकाई संबंधित मेडिकल कॉलेज के आकस्मिकी के चिकित्सक को भी विशेषज्ञ के रूप में इस बैठक मे ले जा सकते है जिससे मृत्यु की समीक्षा में तकनीकि आयाम का सन्दर्भ पर विमर्श हो और चिकित्सा महाविद्यालयों की आकस्मिकी को भी सशक्त किया जा सकेगा।
2. यह राशि क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबन्धन युनिट को आंवटित की गयी है और जिस जिला अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय में सड़क दुर्घटना से संबंधित मृत्यु का प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है उस जिले नें हि इसकी समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी।
3. इस गतिविधि में मृतकों के परिजनों को भी आमंत्रित किया जाना है जिसके लिए 2000/– (दो हजार रूपये) देने का प्रावधान है जिसे उनके एकाउन्ट में सीधे हस्तगत किया जायेगा। इसका वित्तीय संधारण नियमानुकूल किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का आवंटन निम्नुसार किया जायेगाः—

S. No	Name of Commissionaire	No. of District	Fund Allocation (5000*Per District/Month*12+46666)
1	Patna	6	406666
2	Munger	6	406666
3	Magdha	5	346666
4	Tirhut	6	406666
5	Saran	3	226666
6	Bhagalpur	2	166666
7	Koshi	3	226666
8	Purnia	4	286666
9	Darbhanga	3	226672
Total Amount Approved			2700000

कार्यक्रम पदाधिकारी— डॉ0 अभिषेक कुमार सिन्हा

कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नम्बर— 9905777786

डॉ0 अभिषेक कुमार सिन्हा
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्वास्थ्य प्रणाली सशक्तिकरण
(HSS)